1) विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण।
2) शिकायत / विवाद निवारण तंत्र / संस्था
(3) मंत्रालय तथा विभाग
(4) प्रभाव समूह / औपचारिक & अनौपचारिक संघ एवं शासन प्रणाली में उनकी भूमिका
(5) सांविधिक विनियामक एवं अर्द्धन्यायिक निकाय
(Statutory) (Regulatory) (Quasi - Judi.)
(6) शासन व्यवस्था (Administration Sys.) में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के imp. पक्ष
(7) ई - गवर्नेंस
(8) सिटीजन चार्टर (नागरिक - घोषणा पत्र) → P - IV
(9) लोकतंत्र एवं सिविल सेवाएं
G.S. IV ⇒ (10) Good Gov., Corporate Governence (सुशासन)
(11) RTI
(12) भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ
(13) लोकनीधि का उपयोग

Sources :

फोन 09424920002
Face SOURABH CHATURVEDI
delhias.Sourabh@gmail.com

लोकतंत्र एवं सिविल सेवाएं / ब्यूरोक्रेसी

- अंतर्संबंध & मूलभूत संकल्पनाएं
- उदय एवं विकास
- लोकतंत्र एवं सिविल सेवा
- लोकतंत्र के विविध रूपों में सिविल सेवा की भूमिका
- सिविल सेवाएं, लोकतंत्र के परिपूरक के रूप में
  - → सिद्धांत के स्तर
  - → व्यवहारिक क्रियान्वयन
- सि. S. व D. में विरोधाभास (Ex → सूचना → D हेतु imp, but सि. S. में उनके नियंत्रण की कोशिश)
  - सैद्धांतिक व्यवहारिक
- भारतीय D. में C. S. का विकास एवं बदलती भूमिका
  - Pre Ind - स्वतंत्रता पूर्व
  - Post Ind.
- भा. D. में C. S. की सीमाएं / कमियां
- दूर करने हेतु किये गये प्रयास
- सुझाव

I) अंतर्संबंध एवं मूलभूत संकल्पनाएं :-

D. एवं लोक C. S. में मूलतत्व लोक अर्थात जनता है, लेकिन imp. प्रश्न यह है, कि क्या सिर्फ लोक शब्द की उपस्थिति से लोकत्व या लोक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। या इसके लिए दोनों संकल्पनाओं को आपस में जोड़ना होगा। वास्तव में लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो कभी परिपूरक नजर आते हैं, तो कभी विरोधाभासी। लोक-कल्याण की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है, कि इनकी परिपूरकता को बढ़ाया जाये तथा सिविल सेवा सुधार के द्वारा इनके अंतर्विरोधों को दूर किया जाये।

(मार्जिन टिप्पणी: सैद्धांतिक रूप के कल्याण imp)

(मार्जिन टिप्पणी: Include all dimensions in intro)

II) <u>उदय एवं विकास</u> :- D. एवं लोक सेवाओं के अंर्तसंबंधों को जानने से पूर्व हमें विशिष्ट संकल्पनाओं (अवधारणाओं) का सूक्ष्म स्तर पर समझना होगा। यदि D. लोकतंत्र ! लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन तो C.S. लोकप्रशासकों का शासकों के निर्देशों द्वारा जनता के कल्याण हेतु कार्य करने का नाम है।

D. राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के कल्याण की नीतियाँ व Prog बनाते हैं। जबकि लोक सेवाएँ इन नीतियों व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करने से जुड़ी हैं। D. का स्वरूप जैसा होगा, उसी के अनुरूप लोक सेवाओं की भूमिकाएँ भी परिवर्तित दिखाई देगी।

लोकतंत्र

(1) विचारधारा
- उदारवादी → (जनता के असीमित अधिकार) → लोकतंत्र व्यवस्था से बनता है।
- समाजवादी
- साम्यवादी

(2) विधायिका - कार्यपालिका संबंध
- अध्यक्षात्मक D.
- संसदीय

(3) केन्द्र - S. संबंध
- संघात्मक
- एकात्मक

(4) दलीय सहभागिता
- एकदलीय
- बहुदलीय

मूल Democ → वेबेरियन मॉडल ब्यूरोक्रेसी काम करती है ऐसे आदर्श C.S. भी करते हैं।
- तटस्थता
- पद-सोपान का पालन

Most imp. विशेषता
- तटस्थता → (जनता के साथ समान व्यवहार)
- नियम अनुरत

साम्यवादी
- No C.
- Yes C. → सही D वहाँ, जहाँ व्यवस्था हो न हो, केन्द्र में जनता का कल्याण.

अध्यक्षात्मक में देखो C.S नहीं, बल्कि नियमों से चले बल्कि इसमें प्रतिबद्ध नौकरशाही
↳ towards दल
विचारधारा

अध्यक्षात्मक vs **संसदीय**

विधा - कार्य० अलग | विधायिका से ही कार्यपा०

(L) (E) — L (E)

- यहाँ C.S. दोनों के द्वारा मार्गदर्शित
- दोनों में सर्वेन्ट से Ques किया जा सकता है।
- that means दोहरी जवाबदेहिता (Dual accountability)

(+)
- निगरानी बेहतर
- सतर्क
- जागरूक
- भ्रष्टाचार ↓

(−)
- दोहरी जवाबदेहिता का दबाव
- L, E में आपसी समस्या उत्पन्न करा सकते हैं। (L-E में द्वंद्व)
- यथास्थितिवादी हो सकते हैं bcoz of too much interference

- मंत्रिमण्डलीय दायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य (C.S. द्वारा किये कार्य हेतु मंत्री जिम्मेदार)
- C.S. only responsible towards कार्यपालिका
- विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं
- एकल नियंत्रण

(+)
- हस्तक्षेप ↓
- मनोबल ↑
- सुरक्षा का भाव (bcoz जवाब मंत्री)
- दोहरे नियंत्रण से मुक्ति

(−)
- दायित्व बोध ↓
- समर्पण भाव ↓
- गलत कार्यों का दोष भी मंत्रियों पर डालने की प्रवृत्ति
- मंत्रि - सचिव द्वंद्व (संबंध खराब)

कटुता b/w → मंत्री संसद में जिम्मेदार नहीं
C.S. मंत्री पर डाल

III) ~~एकात्मक~~ :
a) संघात्मक

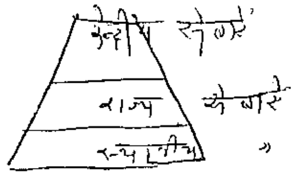

संघात्मक
↳ राजनीतिक विकेन्द्रीकरण (लोकतंत्र)
↓
प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण।

- विभिन्न स्तरों पर लोकसेवाएं की उपस्थिति / सृजन by प्रशा.
- सभी स्तरों के बीच समन्वय

⇒ भारत में AIS ⇒ संघ के केन्द्र व राज्य स्तर पर समन्वय लाने का प्रयास (नियुक्त by centre

b) एकात्मक Demo. :-
⇒ वह शासन प्रणाली जहाँ प्रशा० व राज० सत्ता केन्द्र/शीर्ष से संचालित हो। तथा शासन प्रशासन की निचली इकाइयां स्वतंत्र ना होकर केन्द्र की अनुषंगी हो। (C. पर निर्भर हैं) (Subsidiary)
↓
प्रशासनिक तंत्र :
(+) - कठोर अनुशासन व्यवस्था (Order)
(-) ~~एकात्मक~~
- जनता से दूरी
- अभिजात्यता। अभाव आयेगा
- सत्ता का दुरुपयोग
- बड़े देशों में सफल नहीं
- विविध नृजातिय समूह में सफल नहीं

India में संवैधानिक अवस्था

IV) एकदलीय D. — (साम्यवादी) :
यहाँ समर्पित / प्रतिबद्ध लोक सेवाएं कार्यरत
(+)
समर्पण, कार्यकुशलता

(·)
C.S. का पूर्ण राजनीतिकरण
↓
जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना कर सकता है

बहुदलीय ~~बहुदलीय~~ है →

सरकार में एक ही दल की सरकार — बहुमत लोकतंत्र — but — अनियंत्रित बहुमत

बहुमत लोकतंत्र ↓ उदारवादी ↓ लोकसेवाएँ तटस्थ

अनियंत्रित बहुमत ↓ उदारवादी D. तानाशाही D. में बदल सकती है। ↓
- लोकसेवाओं का राजनीतिकरण
- कमजोर

~~बहुदलीय~~

गठबंधन Govt. है —
↓
(+) मजबूत (b/c राजनीति, सत्ता बचाने में लगी रहती है।)
↓
लोक P में प्रशा० की निरंतरता
+ नीतियों तक ~~कार्यक्रमों~~ कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लोक सेवकों के पास

(~~·~~)

(−)
- भ्रष्टाचार ↑
- सत्तावादी
- असंवेदनशील

लोकतंत्र एवं C.S. में परिपूरकता

• D. एवं C.S. की सहभागी भूमिका को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में लोक S. D. के आधार सिद्धांतों (6 "स") को पूरी करती नजर आती है, जबकि व्यवहारिक स्तर पर यह लोकतंत्र के आधारभूत उद्देश्यों को पूरा करती है।

- परिपूरकता
  - → **सैद्धांतिक** (लोकतंत्र के सिद्धांतों से जुड़ाव) — 6 स
  - → **व्यवहारिक** (लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में)
    - (+)
    - (−) (लोकतंत्र के विरुद्ध भी कार्य — like भ्रष्टाचार)
    - लोक कल्याण
      - नीति क्रियान्वयन
      - गरीबी ↓
      - विकास ↑

— सैद्धांतिक परिपूरकता: (6 "स")

- → सहभागिता → D: सत्ता की सहभागिता (जनता शासन में भाग); C.S: जनता को प्रशासन के पास लाये
- → समानता
- → स्वतंत्रता
- → सहिष्णुता
- → संवेदनशीलता
- → समन्वय

(सहिष्णुता ⇓ एक-दूसरे को पसंद कर)

(सहनशीलता ⇓ tolerance ⇓ (−))

सहभागिता: शासन की सत्ता में भागीदारी

↳ D. में सहभागिता शासन की सत्ता जनता तक पहुँचाने से जुड़ी है। जबकि C.S. में यह प्रशासन की सेवाओं को जनता तक ले जाने का नाम।
वर्तमान में प्रशासन में जनता की सहभागिता को बढ़ाने हेतु ई-गवर्नेंस, कारपोरेट गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, लोकसेवा गारण्टी जैसी संकल्पनाओं को लाया गया)

समानता :- D. — वर्गों को समाहित करते न्याय का प्रतीक है।

C. S. में समानता का भाव यह दर्शाता है, कि वे जनता के प्रति विद्वेषक व्यवहार नहीं करेगी। (भाई-भतीजावाद से इतर)

निरपेक्षित मत / भेदी मर्द doesn't matter / जनता कल्याण + दिशा imp

स्वतंत्रता :-

D. में स्वतंत्रता जनता के अधिकार संपन्न होने का नाम है।

C. S. में स्वतंत्रता का भाव जनता को सशक्त बनाने से जुड़ता है, या जनता हेतु निर्भिक प्रशासनिक वातावरण बनने से जुड़ता है। यहाँ (जनता अधिकारों की माँग कर सके)

यह भी जरूरी है, कि लोक सेवक स्वयं भी ~~विविध बातम~~ स्वतंत्र महसूस करे, व राजनीतिक या अन्य दबावों में नहीं हो।

सहिष्णुता :-

D — शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नाम

C. S. — में भी सहिष्णुता दो स्तरों पर जरूरी है

(i) विभिन्न लोकसेवकों के बीच आंतरिक सहिष्णुता

(ii) विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं व जन अपेक्षाओं के साथ काम करने की क्षमता।

संवेदनशीलता :-

- संवेदनाहीन D. को मृत D. माना जाता है।
- संवेदनाहीन C. S. वर्तमान समय में अस्वीकार्य है, आज लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह

के स्तर पर कार्य करे। जनता की पीड़ा को देखे नहीं महसूस करे।

समन्वय :- लोकतंत्र विभिन्न विचारों - वर्गों में संतुलन साधने का नाम है, और C. S. में समन्वय की आवश्यकता अनेक स्तरों पर दिखती है, जैसे P- प्रशासनिक समन्वय, आंतरिक प्रशासन समन्वय, सिविल सोसायटी के साथ समन्वय, जन अपेक्षाओं से समन्वय।

व्यावहारिक स्तर पर परिपूरकता :-

व्यवहारिक स्तर पर C. S. लोककल्याण हेतु विविध भूमिकाओं का निर्वहन करती है, एक कल्याणकारी लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिकाओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है :-

ब्रिटिश लोकतंत्र only

(1) Regulatory Admin. :- (नियामकीय प्रशा०)
- → राजस्व संग्रहण
- → कानून व्यवस्था
- → Justice

(2) कल्याणकारी प्रशासन :-
इसके तहत C. S.

a) S- E. विकास की नीतियों के निर्माण में सहायता करती है, ~~क्योंकि~~ उनके पास इस संदर्भ में अनुभव / इनके क्रियान्वयन का अनुभव व सूचना तंत्र होता है।

b) S-E विकास की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना। इसके तहत लक्ष्य → क्रियान्वयन - मूल्यांकन स्तर पर C. S. की भूमिका है।

इन्हीं गुणों के कारण India में Back

यहाँ सुधार → लक्ष्य → आधार
Imp → e-governance

c) आपदा प्रशासन :- (आपदा पूर्वानुमान → आपदा रोकथाम → राहत-पुनर्वास) C.S की इन तीन स्तरों पर भूमिका

d) आकस्मिक प्रशासन :- C.S से अपेक्षा है कि (Contingency Adm.) वे परंपरागत चुनौतियाँ यथा- गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण व नित नवीन उभर रही चुनौतियाँ यथा- सामुदायिक सेवाओं पर दबाव, नक्सलवाद, साम्प्रदायिकता जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु तैयार रहे।

e) प्रत्यायोजित प्रशासन की भूमिका :- (Delegation) कल्याणकारी शासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए लोकसेवकों की बढ़ती विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें अधिक से अधिक कार्य सौंपे जा रहे हैं, ताकि राजनीतिज्ञ अधिक गंभीर विषयों का प्रशासन कर सकें।

लोकतंत्र एवं लोकसेवाओं में विरोधाभास

लोकतंत्र एवं CS में सैद्धांतिक विरोधाभास इनकी पृष्ठभूमि से जन्म लेता है। D. में राजनीतिज्ञ निर्वाचित होते हैं, जबकि लोक S. नियुक्त होते हैं, ऐसे में दोनों की सोच और जनता के प्रति व्यवहार विरोधाभासी होना स्वाभाविक है।

I) सैद्धांतिक विरोधाभास :-

1) नैतिक प्रतिबद्धता (D) बनाम निष्पक्ष तटस्थता (CS) :-

(2) विवेकाधीन व्यवहार बनाम समरूप व्यवहार
↳ (अपना-पराया) ⇓ (सभी equal)

(3) भागीदारी बनाम ~~अभिजात~~ जनता से दूरी
⇓ (जनता से निकटता) ↳ (जनता से Healthy Distance ⇓ ~~for~~ निष्पक्षता)

(4) सत्ता का प्रवाह
↑ UP (PM)
Bottom (जनता)
Democracy
(ऊर्ध्वगामी)

CS
~~Top-down~~ पदसोपान
↓
(अधोगामी)

लोकतंत्र अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण पर बल — लोक सेवाओं में सत्ता के केन्द्रीयकरण की चाह

(5) विकेन्द्रीकरण vs केन्द्रीकरण

फोन 8130392358

इन वैचारिक भावों के साथ जब D. मे C.S. कार्य करती है, तो व्यवहार में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती है Ex. for 1) लोकसेवाएँ अभिजनवादी बनेगी या जन संवेदनशील

(2) लोकसेवकें स्वयं को जनता का सेवक मानेगी या शासक

(3) C.S. अपने वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करेगी या जनसशक्तीकरण

(4) गोपनीयता से काम करेगी या कार्यकरण में पारदर्शिता भी लायेगी।

(5) C.S. संतुलित राजनीति की भूमिका जहाँ वे राजनीति का पालन करती है, या असंतुलित राजनीति में, जहाँ राजनीति को नियंत्रित (नेताओं को प्रशासक चलाते है))

(6) मार्ग-मतीजावाद से काम करेंगे या निष्पक्षता से

वास्तव में D. एवं C.S. की परिपूरकता या विरोधाभास इन अवधारणाओं के सकारात्मक प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि दोनों अवधारणाओं को उनके आदर्श चरित्र के साथ लागू किया जाता है, तो लोकसेवाएँ लोकतंत्र के लिए वरदान हैं। यदि दोनों अपनी आदर्श विशेषताओं से विचलित होकर कार्य करते हैं, तो C.S लोकतंत्र में शोषक की भूमिका में हो सकती है।

तटस्थता - Neutrality
↓
लोक सेवाओं में यह राजनीतिक तटस्थता
⇓
अर्थ : पद के प्रति तटस्थ होना, व्यक्तियों के प्रति नहीं
→ राजनीतिक दलों की विचारधारा के प्रति नहीं

वैबर → नौकरशाही को तटस्थ रहना चाहिए
(लाल & इसका राजनीतिक उत्पीड़न नहीं)

रा० तटस्थता की डिग्री या मात्रा :
⇓
चार प्रकार की नौकरशाही

- पूर्ण तटस्थ — पूर्ण तटस्थ के काफी नजदीक (Ex: फ्रांस)
  - (गैर रा० नौकरशाही)
  - (शासनिक) → even no voting write ⇓ शून्य राजनीतिक तथा नौकरशाही अधिकार
- आंशिक (ब्रिटेन, USA, India)
- प्रतिबद्ध
- राजनीतिक (Ex: चीन, रशिया)

राजनीतिकरण ←

Min. ←— तटस्थता —→ Max

राजनीतिकरण →
↳ (−) नौकरशाही का उत्पीड़न
↳ नौकरशाही का विभाजन

नौकरशाह तटस्थता से दूर राजनीति से गठजोड़ → (कलेप्टोक्रेसी)
↳ गलत लोगों का गलत उद्देश्य हेतु आपसी गठजोड़

दलीय विचारधारा
↓
मैनिफेस्टो
↓
नीतियाँ

(राजनीतिक तटस्थता)
- सैद्धांतिक
- व्यवहारिक नहीं ~~भौतिक~~ bcoz → साथ कार्य atomatic जुड़ाव

(How can be तटस्थ)

Policy follows + Implementation — नीति - राजनीतिक (Policy)
दलीय — राजनीति (Party)

Protection ← ~~क्लेप्टोक्रेसी~~ (−) YPJ
- Power
- Prestige
- Proximi (निकट)

if को S. इन दोनों में व्यवहार में अंतर करे तो तटस्थता ?

वेबर की नौकरशाही
- तटस्थता
- अनामिता

वेबेरियन नौकरशाही के लक्षण

1. पदसोपान (Hierarchy)
2. कार्य विभाजन
3. योग्यता चयन
4. नियम अनुरूप
5. कागजी कार्यवाही
6. सवैतनिक
7. कार्यकाल सुरक्षा
8. तटस्थता (Neutrality)
9. अनामिता (Anonymity)
10. निर्व्यक्तिकता

Que भारतीय C.S में क्या विशेषताएं होनी चाहिए?

लोकतंत्र → उत्तरदायी

लोक सेवाएं

वेबेरियन

तकनीक / सिद्धांत / अवधारणा / विचार / सोच

⇓ मूल्य तटस्थ (मूल्य का अर्थ पसंद या ना पसंद)

⇓ अपने आप अच्छी या बुरी नहीं

→ मानवीय मूल्यों से जुड़ती है उसके अनुसार परिणाम

Eg नाभिकीय विखण्डन

good → ऊर्जा

bad → बम

वेबर के विचारों का use →

पदसोपान → (लोगों को पद क्रम में जमाना)

(+) → अनुशासन, व्यवस्था, सत्ता प्रवाह, जवाबदेही

when जरूरत से ज्यादा विस्तारित

(−) → उच्च - अधीनस्थ दूरी ↑, संबंधों में कटुता, प्रशासन में लाल फीताशाही ↑ △↑

कार्य विभाजन → (+) → विशेषज्ञता

(−) Max होने पर समन्वय ↓

योग्यता - चयन → (+) → सदुपयोग पर योग्य लोग ↑

भाई-भतीजावाद पर / पक्षपात

नियम अनुसरण → (+) अनुशासन

→ (−) लाल फीताशाही

कागजी कार्यवाही → (+) → पूरी जानकारी

→ (−) → सारा वक्त इसी में

अवैतनिक → (+) → मनोबल ↑

→ (−) – कार्य की भावना ↓
– no motivation

निर्वैयक्तिकता

आजीवन काल सुरक्षा → (+) → स्थिरता, no हड़ताल

→ (−) → misuse

तटस्थता → (+) उत्पीड़न ↓ ; (−)

अनामिता (पूर्ण उत्तरदायित्व) → (+) ; (−) • आपसी ... मनमुटाव

विबेरियन ब्यूरोक्रेसी ↓ समरूप ↑
of C.S

भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवाओं का विकास

↓ स्वतंत्रतापूर्व ↓ P. Ind.

भारत में लोकतांत्रिक राज्यों के उदय के साथ S. के कार्यकारी अंग के रूप में लोक से० की विकसित की गयी। महाजनपद काल के गणराज्यों से लेकर मौर्य एवं गुप्त काल में लोक सेवाओं की सुदृढ़ स्थिति को देखा गया, लेकिन आधुनिक लोक सेवाओं के विकास का श्रेय ब्रिटिश शासन को दिया जाता है। ब्रिटिश काल में लोक सेवक शब्द भी 1765 में अस्तित्व में आया। (व्यापार व्यवस्था का अधिकार) सैन्य एवं व्यापारिक कार्यों से भिन्न कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को लोक सेवा कहा गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद बनाया, जिससे लोकसेवाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई। इसे भारत में C.S. को प्रारंभकर्ता कहा गया। लेकिन भारत में C.S का पिता - कार्नवालिस को कहा जाता है, जिनके योगदान थे,

(margin: कार्नवालिस ने कोई सुधार नहीं किया)

(1) सि० सेवाओं को संविदाबद्ध व गैर संविदाबद्ध सेवाओं में बांटना (Convenented)

(2) C.S के यूरोपियकरण का सिद्धांत देना base → इन्हे पदों की योग्यता इसीलिए

(3) कार्नवालिस कोड के नाम से पहली आचार संहिता बनाना।

(4) कानून-व्यवस्था या पुलिस तंत्र = ~~जिले स्तर~~ में कोतवाल जैसे पदों का सर्जन

ब्रिटिश काल में C.S. कुछ आधारभूत विशेषताओं को धारण करती है, जिसमें सकारात्मक विशेषताएं थी - (1) सत्यनिष्ठा (Integrity), (2) अनुशासन, (3) कार्य के प्रति समर्पण (4) राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेहिता

↓

उक्त सब का परिणाम

मितव्ययता (Economy) — कार्यकुशलता (efficiency) — प्रभावशीलता (effectiveness)

Ques: स्टील फ्रेम कहा है. ↓ ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को

नकारात्मक बातें :-

1) जनता के प्रति मनोवृत्ति → जनता के मालिक
2) जनता से दूरी → अभिजात्यता
3) अभिजात्यता → (अपने को श्रेष्ठ रखने की हीन भावना की भावना)
(4) संवेदनहीनता
↳ (किसी भी स्थिति में बर्बरता)

↓

नियामकीय चरित्र
↳ (मापक सिर्फ tax collect करने से → L & Order + न्याय

but कल्याण पक्ष ↓

C.S. लोक कल्याण से दूर नजर आई।

Ques :- Mas.Inaks :- ब्रिटिश C.S. को कहना कि जिसने हाथी को पीठ पर रखा।
↳ that means we have to take (+)ve point

लोकसेवा (Fragment)
↳ संरचना
↳ प्रक्रिया
↳ व्यवहार

Post Ind.
संरचना को जारी रखा
दोनों में change
नौकर, जनता के बीच,
(−) → (+)ve चीजों से भी दूर → कई समस्या है →
C.S. में सुधार की आवश्यकता ⇒ ∴ change in UPSC syllabus

स्वतंत्रता - पश्चात भारतीय ... में C.S. दो स्तरों पर परिवर्तन को दर्शाती है :-

(1) C.S. की विचारधारा व मूल्यों में परिवर्तन
जैसे - नियामकीय to कल्याणकारी
(2) पब्लिक मास्टर ⟶ सेवक
(3) अभिजात्यता ⟶ सर्वहारा वर्ग
(स्रोत) ↳ वर्ग संदर्भ में (भाव) ↳ व्यवहार में
↳ now निम्न वर्ग
b/c of आरक्षण
(4) संवेदनहीनता ⟶ संवेदनशीलता भावुकता
(5) निरंकुशता ⟶ जवाबदेहीता

Que :- स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात C.S. में मूल्यात्मक परिवर्तन

II) दूसरा परिवर्तन C. Servent की भूमिका में है —
जिसके पीछे राज्य के दर्शन/सोच का परिवर्तन

(पुराना) ... (पहले) पूर्व 1947 ... बाद

राज्य का दर्शन ⟹ अहस्तक्षेपवादी राज्य (Lessez faire) → नियामकीय राज्य (Regulatory) → कल्याणकारी S. (1980's) → 1990's (Economic Crisis) → सीमित राज्य (Limited State)

| according

सरकार का कार्य ⟹ नगण्य → सीमित → कार्य क्षेत्र चारों ओर → क्षमता अनुरूप

लोक सेवाओं की भूमिका ⟹ नगण्य → Revenue, L&O, Justice → प्रशासनिक राज्य (क्योंकि सरकार प्रशासन की भूमिका) → PPP

लोकतंत्र विकास → (प्रशासनिक राज्य)

सीमित राज्य है –
अर्थ → क्षमता अनुरूप कार्य
∴
सामाजिक by Govt. — आर्थिक by Private
→ PPP

welfare S → खर्चा > पैसा → समस्या → ∴ क्षमता अनुरूप → प्राथमिकता अनुरूप खर्चा ⟹ इसके CS की भूमिका सीमित ⟹ PPP ↑

स्वतंत्रोतर भारतीय D. में C.S से जुड़ी सीमाएँ है

1) राजनीतिक तटस्थता को बनाये रखने में असफल

2) सत्यनिष्ठा से विलगात (भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद)
broad area, not related only with भ्रष्टाचार → अर्थ है – दायित्व को अच्छे से निभाने की क्षमता

(3) असंतुलित राजनीति है → प्रशा. → राजनीति को निर्देश

(4) राजनीतिक कार्यपालिका के मजबूत होने पर लोक सेवाओं से

5) Lack of professionalism (3E) ↓
↓ (कार्य के रूप को समझना)
व्यवसायिकता ↓

6) सत्ता के विकेन्द्रीकरण से उभरी समस्या / असहजता

7) कार्यभार के अनुसार सत्ता मे बढ़ोतरी नही
(कार्य ↑ सत्ता ↑)

8) निजि क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा (

सीमित राज्य → लोकसेवाओं के पुर्न निर्माण की माँग

base
संरचना – पदसोपानिक से सपाट
(सब equal)
कोई ऊँचा कोई नीचा नही

डैवालिस्ट C.S.
↳ जुनून पैदा करने की approach

प्रक्रियागत परिवर्तन → निर्णयन, नेतृत्व, संचार → सब केन्द्रीकृत की बजाय सहभागी बनाये (सब के साथ मिल-जुलकर कार्य)

Community based
↳ समुदाय आधारित
↓
लोगों को भागीदार लेकर चले

व्यवहार

प्रदाता का नही (Provider) ↓ (देने वाला) ⇒ U will be सुविधा प्रदायक (facilitator) ↓ (दूसरो की मदद)

नियंत्रक नही (Controller) → बल्कि regulator

Customer oriented
↳ जनता सर्वोपरि है।

मूल्य, गुणवत्ता, वितरण → depend on Market

⇒ उक्त सारे परिवर्तन लाना समस्या
↳ b/c अचानक बदलाव समस्या
↳ लोकसेवकों से शीघ्र लाना issue

I) लोक सेवा के सुधार

सुधार : भारतीय D. में C.S. में सुधार संबंधी बिंदु :-

(1) भर्ती प्रक्रिया में सुधार :- (after 2000 सुधार → C-SAT, → Mains)

(2) प्रशिक्षण में " :- → सोच, → भूमिका
→ Manager की ट्रेनिंग
→ Retraining, Cyclic T., G-T., Reveal T.

(3) C.S. में समतामूलक प्रतिनिधित्व :- ताकि लोक सेवाएं सभी (जनसंख्या के अनुपात में) वर्गों के हिसाब से कार्य / क्षेत्र / समुदाय
women representation

राज्य सरकार → tribal कोचिंग

(4) लोक सेवाओं का लोकतांत्रिकरण :- → संरचना
→ व्यवहार
→ प्रक्रिया

(II) लोकतंत्र को बेहतर :-

(1) सत्ता का विकेन्द्रीकरण :- राज. सत्ता के विकेन्द्री. के साथ प्रशा. सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी जरूरी है।

(2) जनभागीदारी के अवसर :- ई-गवर्नेंस,
→ प्रशासन को जनता के नजदीक ले जाने हेतु उपाय
⇓
प्रशा. में जन भागीदारी
(ई-गवर्नेंस, सिटिजन चार्टर, लोकसेवा गारंटी)

(3) लोकसेवा जवाबदेहता में वृद्धि :-
same as जनभागीदारी अवसर

(4) लोकसेवा के विरुद्ध लगाती शिकायत निवारण तंत्र का विकास : लोकपाल से up ———→ down / ग्राम पंचायत तक
social audit / ग्राम पंचायत

(5) C.S. का आधुनिकीकरण :-
→ सूचना - प्रौद्योगिकी
→ Smart Governance (Simple Moral accountable responsible

ई-गवर्नेंस → सूचना-तो० के माध्यम से शासन

SMART → वह सरकार जो IoT को use कर

सिम्पल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट ~~सरकार~~ शासन है।

TAPE है → Enterpreneniar (उद्यमी) → जो मोटिवेशन जगाता है

→ Anticipatory (पहले से अनुमान लगा ले)

→ Participative

↳ ट्रांसपेरेंट

(नव लोक प्रबंधन) ← NPM है - लोक सेवाओं को ~~लोक~~ लोक प्रबंधन से जोड़ना।

↳ हेतु 1992 में Reinventig Govt. किताब लिखी गयी जिसमें ऑसबर्न व गॅबलर नामक विद्वानों ने लोकसेवाओं को 10 नई विशेषताओं से जोड़ा।

(आधुनिक लोक सेवा)

C⁴M² DERR

- (C) → कॉम्पीटेटिव
- → कैटलिस्ट (उत्प्रेरक)
- → कम्युनिटी बेस्ड (समुदाय आधारित)
- → Coustomer Oriented (ग्राहक अनुरूप)
- (M) → मार्केट ड्रिवन (बाजार आधारित)
- → मिशन मोड
- D → Decentrealised (विकेन्द्रीकृत)
- E → Enterepreneaur (उद्यमी)
- → Anticipatory (पहले से मानना)
- → Result Oriented (परिणाम अनुरूप)

No.

Ques 1 → D & CS एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ये परिपूरक होंगे या विरोधाभासी ये दोनों की परिपक्वता पर निर्भर हैं?

Ques 2 → CS का चेहरा लोकतंत्र का अनुगामी होती है, जैसी राजनीतिक प्रणाली होगी, वैसा ही लोक सेवाओं का स्वरूप व भूमिका।

Ques 3 → भारत में CS स्वतंत्रता के बाद नये चाल-चरित्र व चेहरे को धारण करती है; लेकिन ब्रिटिश कालिन विरासत से स्वयं को दूर नहीं कर पाती।

Ques 4 → एक उदारवादी D. में लोकसेवाओं की भूमिका विरोधाभासी नहीं परिपूरक होनी चाहिए।

Ques 5 → लोकतंत्र की अवधारणा में ही, लोक सेवाओं के आधार मूल्य छिपे हैं, आवश्यकता है, उन्हें खोजकर समय अनुरूप ढालने की।

Ques 6 → भारतीय राज्य का कल्याणकारी से सीमित राज्य के रूप में परिवर्तन लोक सेवा के पुनर्निर्माण की माँग को जन्म देता है?

Ques → भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवा सुधार एक व्यापक सुधार होंगे, जिन्हें P-S एवं संस्थानिक अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

(D.O.P.)

⇒ शासन/सरकार/लोकतंत्र

↳3 अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण है।

- विधायिका
- कार्य०
- न्यायपालिका → जाँचे कि acc. to संविधान है/नहीं; → व्याख्या

Format

I) शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य/संकल्पना

II) शासन के विभिन्न घटकों का स्वरूप/भूमिका/महत्व

III) D.O.P. की आवश्यकता/महत्व

IV) DOP से जुड़े सिद्धांत ⇒ (अवरोध एवं संतुलन)

V) DOP से उभरे संबंध/विवाद

- ↳ विधा - कार्य० संबंध
- ↳ " - न्या० " ⇒ DPSP vs F.R.
- ↳ कार्य० - न्या० "

विवाद

- कारण
- विवाद से जुड़ी घटनायें

VI) परिपूरक भूमिका (A-143) → कारण, मुद्दे

VII) सुझाव

संकल्पना है- लोकतंत्र एवं संविधानवाद के विकास के साथ इस बात की आवश्यकता महसूस की गई, कि शासन के विभिन्न घटकों को अलग-अलग स्थापित कर उनकी शक्तियों को भी निर्धारित किया जाये। ऐसा करने से लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि शासन के घटकों को अपने अधिकार दायित्व व सीमायें ज्ञात होंगी। साथ ही वे परिपूरक रूप में S. के उद्देश्यों के लिए कार्य कर सकेंगे।

सभ्य समाज के ~~संचालन~~ विकास के साथ उसके संचालन
(Civilized)
हेतु S. की आवश्यकता महसूस हुई। S. के संचालन हेतु सरकार नामक संस्था अस्तित्व मे आयी। अब सरकार के समक्ष तीन मूलभूत Ques थे -
1) विधि का निर्माण कौन करेगा।
2) निर्मित विधि को लागू कौन करेगा / निर्मित विधि के अनुरूप शासन संचालन कौन
3) विधि की रक्षा व विधि के शासन के स्थापना कौन
(Rule of law)

प्रारंभिक या अपरिपक्व राज्यों में ये तीनों कार्य एक ही व्यक्ति या संस्था को दे दिये गये (Ex:- राजतंत्र मे राजा → E, L, J; तानाशाही मे तानाशाह) लेकिन ऐसा करने से एक ओर तो लोकतंत्र कमजोर होता था, तो दूसरी ओर विशेषज्ञता और कार्य कुशलता का हनन होता था। ∴ S ने अपने विकास के क्रम में इन कार्यों हेतु अलग - 2 संस्थाओं को प्रस्तुत किया। जिन्हें क्रमशः L, E व J. कहा गया
~~ब्रिटेन~~ मे
ब्रिटेन में 1688, USA → 1776
फ्रांस में 1789 की क्रांति ~~फ्रांस 1789~~ के बाद ये संस्थाएं व्यवस्थित रूप में दिखायी देनी लगी, और लिखित या अलिखित संविधान के माध्यम से इनके बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जाने लगा।

20वी सदी में जब भारत जैसी नवीन लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय हुआ, तो उन्हें इन संस्थाओं का अनुभव ब्रिटिश का० शासन मे ही हो चुका था। अतः नवस्वतंत्र देशों के जितने भी संवि० रहे है, उनमे S.O.P. की स्थायी व्यवस्था करती गयी। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में भाग - 5, भाग - 6 क्रमशः केन्द्रीय प्रशासन व राज्य प्रशा० का उल्लेख है।

भाग V केन्द्रीय प्रशासन (A 52 - 151)	भाग VI राज्य प्र० (A 152 - 237)
1) केन्द्रीय कार्य० (52 - 78)	1) S. E. - (153 - 167)
2) केन्द्रीय विधा० (79 - 122)	2) S. L. (168 - 212)
3) Pre का Ordinance (123)	3) राज्यपाल का अध्यादेश (213)
4) केन्द्रीय न्यायपालिका (SC) (124 - 147)	4) S. J. → HC (214 - 232)
5) CAG (148 - 151)	5) अधीनस्थ न्याय० (233 - 237)

D. O. P. का imp. है?

- विशेषज्ञता
- जनता के हित

शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य व उससे जुड़े सिद्धांत है:-

D.O.P. की संकल्पना अंतिम रूप से यह प्रस्तावित करती है कि शासन के विभिन्न घटकों को उनकी योग्यता, सामर्थ्य व विशेषज्ञता के आधार पर शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह विभाजन सुस्पष्ट और परिपूरक होना चाहिए। तभी शासन सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

शक्ति पृथक्कीकरण के मूल में निम्न० सिद्धांतों को देखा जा सकता है :- / आवश्यकता / महत्व

(1) विशेषज्ञता का सिद्धांत :- (क्षमता / योग्यता के अनुरूप कार्य)

(2) कार्य विभाजन का सिद्धांत :- (एक समूह करने में असमर्थ)

(3) जवाबदेहिता का ,, :- (जिम्मेदारी सुनिश्चित करना)

(4) समतुल्यता ,, ,, :- if सत्ता ↑ > दायित्व ↓ ⇒ तानाशाह
(equilibrium)

Authority ⇌ Responsibility
⇓
पृथक्करण के समय यह सुनिश्चित करना था

(Authority) सत्ता → शक्ति (Power)
जब वैधानिक हो जाती है।

A < R ⇒ अकुशलता

संभावना कि शक्ति होते हुए सत्ता नहीं
reach → D. V.

(5) वैधानिक अपेक्षाओं का सि०
(Principle of legitimate)
जनता की अपेक्षा / जरूरत
के अनुरूप ⇒ D. O. P.

विचार ⇒ सपना
(Thought)
⇓ सपना + मान्यता
परिकल्पना
⇓ परी० + व्यापक
संकल्पना
⇓
सिद्धांत
⇓
विचारधारा
(विचार का परिपक्व रूप)

(6) चेक & बैलेंस (अवरोध एवं संतुलन)
एक पर नकेल कसने हेतु दूसरा

⇒ इस D.O.P. का आधारभूत सि० कहा जाता है। जिसके तहत शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को संतुलित - प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी अंग या घटक वर्चस्ववादी ना बने। और दूसरे की सत्ता में हस्तक्षेप या उसे घटाने का प्रयास ना करे।

इस संकल्पना का उद्गम USA से माना जाता है। अमेरिकी संवि० में शा० के तीनों अंगों को इस प्रकार शक्तियाँ बाँटी गयी हैं, कि वे ~~एक-~~ इसरे से नियंत्रित होते हैं, और इसे नियंत्रित भी करते हैं। उदा०:->

ex.:—

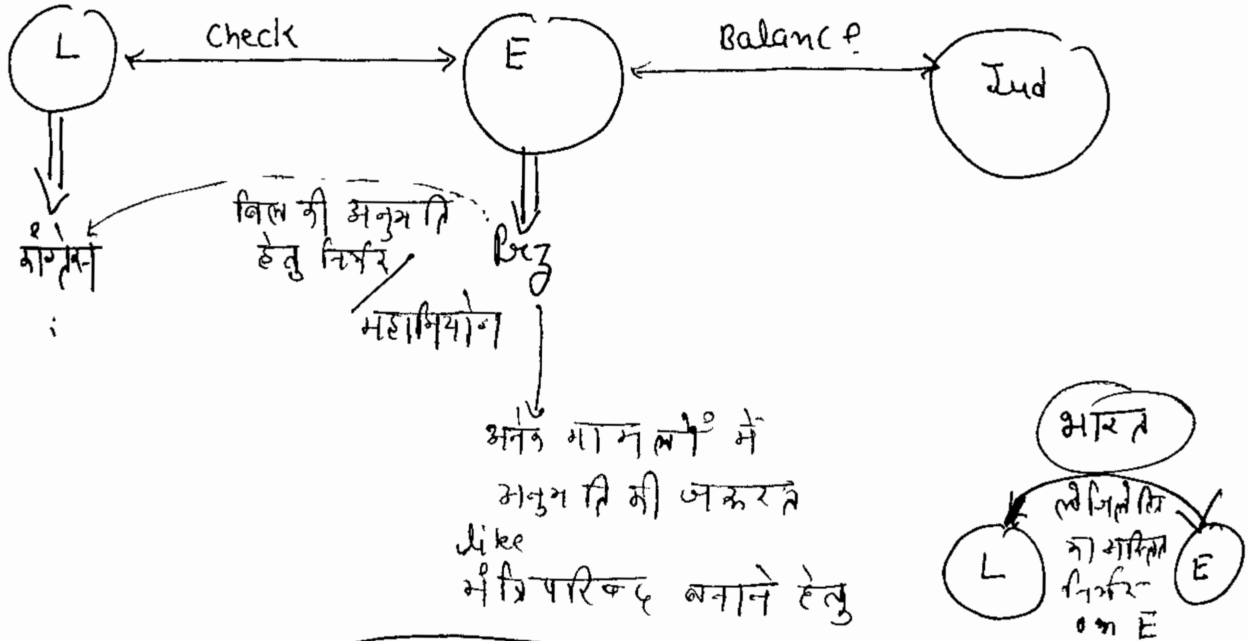

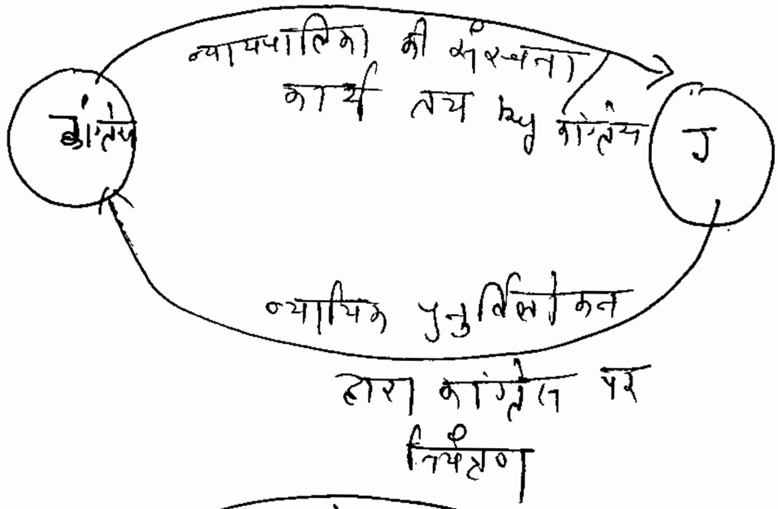

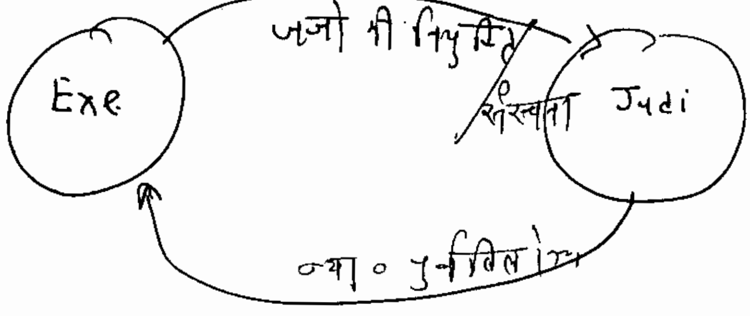

संतुलित - प्रतिसंतुलित

C&B का सिद्धांत भारतीय संवि० में भी स्थापित किया गया है, जिसके प्रमाण हैं,

(1) भारत की संसद न्यायपालिका की संरचना एवं शक्तियों का निर्धारण करती है।

(2) भारत की Exe न्याय० में न्यायधीशों की नियुक्ति से जुड़ती है।

(3) भारत की विधायिका से ही H.C. & S.C. के न्याय० को हटाने की प्रक्रिया संपन्न (124(4))

(4) न्यायपालिका को यह अधिकार है, कि वह विधायिका व कार्यपालिका के कृत्यों की संवैधानिकता की जाँच करे। यदि विधायिका निर्मित विधि या कार्यपालिका द्वारा किये गये कार्य संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनर्विलोकन कर उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।

D.O.P. से उभरे संबंध :-

शासन के तीन अंगों के बीच जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो तीन प्रकार के अंतर्संबंध उभर कर सामने आते हैं,

(1) विधा - कार्य०
(2) वि - न्या
(3) न्या - कार्य०

लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्य०, विधा० का अंग होती है, व कार्य० का विधा० में बहुमत भी होता है। ऐसे में कार्य० का मत ही विधायिका का मत होता है। और अंत संबंध सिर्फ दो रह जाते

अध्यक्षात्मक प्रणाली
↳ संबंध 3 type
bcoz तीनों स्वतंत्र

संसदीय
↳ एक ही
Generally प्रकार का

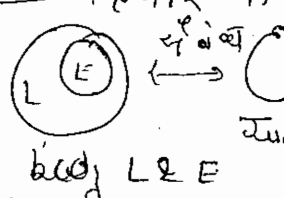

bcoz L & E

लड़ाई लगाई by मीडिया (सरकार) बनाम (न्याय)
but कहा जाता है आधार नहीं
संसद Vs न्याय
bcoz [illegible]

समाज

में सामने आता है, विधायिका/कार्य० बनाम न्या०
इस विवाद को भारत में संसदीय VS न्यायिक सर्वोच्चता
के रूप में देखा गया है। हमारे संविधानविदों ने ना तो
ब्रिटेन के समान संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है, ना हि
अमेरिका की तरह न्या० सर्वोच्चता को बल्कि दोनों के बीच
संतुलन लाने का प्रयास किया। इस प्रयास को उन्होंने
अवरोध व संतुलन का नाम दिया, लेकिन सर्वोच्चता का
विवाद होने पर अंतिम रूप से कौन अभिभावी होगा, इस
बारे में कोई स्पष्ट प्राव० नहीं किया।

संविधान लागू होने के बाद संसद ने
DP तत्वों के लिए (अनुपालन) प्रयास शुरू किये, जबकि न्या०
ने अपना लक्ष्य मूल अधिकारों की रक्षा को बनाया। DP
सामूहिक हितों की बात करते थे, जबकि F. R. व्यक्तिगत
हितों के पोषक थे। ऐसे में दोनों के बीच अंतर्विरोध स्वाभाविक
था। Ex :- भूमि सुधार

जमींदार
संपत्ति अधिकार का उल्लंघन
↳ न्यायपालिका ने कानून को रद्द
भूमि अधिग्रहण में same issue
बाध्यकरण के अधिकृत मुद्दे
DPSP – F R ⇒ always F R विजयी
⇓
इंदिरा गांधी → संविधान संशोधन
↳ न्यायपालिका आदेश ⇒ फिर संशोधन
⇓
बीच का रास्ता (केशवानंद भारती)
↳ change संभव but ~~मूल ढांचे का अभावके~~ मूलढांचा यथावत
⇓
(1976) इंदिरा गांधी → 42 वीं बार लाल
...

(1980) न्यायिक पुनर्विलोकन ⇒ मूलढांचा
(मिनर्वा मिल्स)

न्यायपालिका ने मूलढांचे की स्पष्ट व्याख्या नहीं
↳ इसकी व्याख्या का अधिकार सुरक्षित
↓
2007 ⇒ 9वीं अनुसूची
↳ कोई कानून 1973 के बाद इसमें शामिल ⇒ न्यायपालिका की जाँच

इसलिए दोनों के बीच अंर्तविरोध की स्थिति बनी तथा ये अंर्तविरोध संसद बनाम J. में बदल गया। इस विवाद के विकास व परिणति (अंत) को निम्न चरणों में देखा जा सकता है।

I) ⇒ 1967 → गोलकनाथ vs पंजाब S : इसमें SC ने निर्णय दिया, कि — संसद F.R. में संशोधन नहीं कर सकती।

II) 24वाँ संविधान संशोधन, 1971 :- संसद की संवि० संशो० की शक्ति असीमित है, और वह F.R. सहित संविधान के किसी भी भाग में संशो० कर सकती है। संवि० संशो० पर हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति बाध्य है।

III) 25वाँ संवि० संशो०, 1971 :- F.R. पर DPSP की सर्वोच्चता स्थापित की गई।

i) Art (39 (b) (c)) → लागू करते समय 14/19/31 FR's
↓
आर्थिक समानता हेतु → समता / स्वतंत्रता / संपत्ति के मूल

अधिकारों का उल्लंघन, की मामला नहीं

IV) 1973 में केशवानंद भारती VS केरल S. में SC ने मूलढांचा या आधारभूत ढांचे की संकल्पना को प्रस्तुत कर संसद व न्या० की शक्तियों में एक संतुलन साधने का प्रयास किया। इस निर्णय में उन्होंने कहा, कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति अबाध्य है, पर शर्त है कि वे मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। और मूल ढांचे की व्याख्या हेतु न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसे वह समय-समय पर अपने निर्णयों में प्रस्तुत करेगी।

V) 42वां संवि० संशो०, 1976 :- इस संशो० के द्वारा यह पुनः लिखा गया, कि संसद मूल ढांचा सहित संवि० के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और न्यायपालिका को इसके पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है।

VI) मिनर्वा मिल्स, 1980 :- SC ने पुनः यह निर्णय दिया कि न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचे का हिस्सा है। और 1973 के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन संभव नहीं है, अतः इस निर्णय से 42वें संशोधन का प्राव० अर्थहीन हो गया। और न्याय० को पुनर्विलोकन की शक्ति वापस मिल गयी। केशवा पुनः बहाल

इस विकास के बाद भारत में विधा० व न्याय० केशवानंद भारती के निर्णय के अनुरूप ही अपनी शक्तियों को अंतिम रूप से प्राप्त करते हैं। और संसद के पास संवि० संशो० तथा न्या० के पास मूलढांचे की संकल्पना अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के उपाय/हथियार हैं।

यह स्थिति संविधान विदो की सोच

अनुरूप है। क्योंकि उनका मत था यहा था, कि शासन का कोई भी एक अंग वर्चस्ववादी ना हो, बल्कि अवरोध व सन्तुलन से संचालित हो।

विधायिका/न्यायपालिका विवाद के कारण, उनसे जुड़े विवाद/मुद्दे :-

कारण

(1) संवैधानिक वर्चस्वता की होड़ :- शासन के अंगों में यह (एक-दूसरे से बेहतर दिखाना) स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, कि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करे। और अपनी सत्ता को अधिक से अधिक स्थापित करने का प्रयास करे। जब विधायिका यह प्रयास करती है, तो उसे अति विधा० सक्रियता कहते हैं। जब न्या० यह प्रयास तो उसे अति न्या० सक्रियता कहते हैं।
(Over Activism) (लोकप्रभाव → विजिबिलिटी के बारे में ना सोचना)

(2) जनता के बीच अपनी छवि व लोकप्रियता को बढ़ाने की होड़ :-

(3) बहुमत सरकारों द्वारा संविधान संशो० के माध्यम से संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास :-

(4) न्यायिक अति सक्रियता द्वारा न्यायाo द्वारा न्या० सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास

(5) विधायिका या न्याय० में यह पूर्वाग्रह कि उनकी भूमिकाएँ पूरक नहीं विरोधाभासी (ill-sentiment) हैं।

संवैधानिक विवाद => संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद

मुद्दे :- संवैधानिक विवाद से जुड़े मुद्दे :-

1950 के दशक तक यह संविधानिक विवाद F.R. व DPSP से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहा। बीच में न्यायिक पदस्थापना (नियुक्ति) से जुड़े मुद्दे पर भी गंभीर विवाद भी

निभाते बनी। लेकिन 90 के बाद गठबंधन सरकारों के दौर पर जब विधायिका व कार्यपालिका का दांव बिगड़ने लगी और P.I.L., जनहित याचिका जैसे उपायों से न्यायिक सक्रियता बढ़ी, तो दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद गहराने लगे। पिछले 10 वर्षों में ऐसे विवादों की एक लंबी फेहरिस्त देखी जा सकती है।

1) निजि शिक्षण संस्थानो मे आरक्षण संबंधी विवाद
2) लाभ के पद की व्याख्या से " "
3) Pr. की क्षमादान शक्तियों के प्रयोग संबंधी विवाद
4) दागियों से जुड़े अध्यादेश का विवाद
5) आधार कार्ड के उपयोग संबंधी विवाद
6) चुनाव घोषणा पत्र, आचार संहिता " "
7) CBI स्वायत्ता
8) ~~2-G~~ कोयला घोटाले की जाँच
9) खनिज सम्पदा के आवण्टन → Govt → सरकार की सारी prop. / S.C → prop. जनता की है।
10) विशारता दत्त गाइडलाइन के लिये। (1997 में गाइडलाइन्स) ↳ SC →
11) पुलिस रिफार्म से जुड़े कानून बनाने का विवाद (1975 में S.C. का नि॰)
12) खाद्यान्न बर्बादी पर S.C. के आदेश से उपजा विवाद
13) सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर (IT Act – 66 (A)) विवाद
(14) नदी जोड़ो

Margin notes: सीलिंग Household से commercial purpose के लिए रही दुकानों को रोकने हेतु (recent report) ✓ सोली सोराबजी समिति ✓ गोरेलाल कमि (1970's)

अति सक्रियता — निजि शिक्षण
↳ L-E को निष्क्रिय बताकर स्वयं को सक्रिय बनाये

सक्रियता ↳ जब तक कार्यपालिका अकर्मण्यता रोके → बीच की लाल कारी लप

एक-दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह को मिटाने हेतु
↳ अंतःघटकीय परिषद का गठन
↳ निर्णय से पहले सोच-विचार
↳ Prez → PM, Vice-Prez इत्यादि बुलाकर।

~~आचार संहिता~~ :-
↳ Manifesto / घोषणा पत्र
↳ SC → इससे जुड़ी Code of Conduct

राजनीतिक दलों को RTI में शामिल

शासन के घटकों के बीच सहभागिता :-

D. के प्रभावी संचालन हेतु इसके सभी घटकों के बीच सौहार्द, समन्वय व परिपूरकता का भाव होना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय संविधान ने D.O.P. के दौरान ही कुछ उपाय किये हैं, जैसे—

(1) संसदीय शासन प्रणाली के तहत विधा० व कार्य० को आपस में जोड़ दिया गया है। (विधा० के member पर ही E. के mem.) कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है।

(2) कार्यपालिका की निरंतरता हेतु विधायिका में उसका बहुमत होना चाहिए 75(3)

(3) A-143 के तहत भारत का कार्यपालिका प्रमुख Prez ~~न्याय~~ संवैधानिक व राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सलाह ले सकता है।

(4) उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की, जो कॉलेजियम प्रणाली है, या जो प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) प्रस्तावित है, दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका, व न्यायपालिका साथ कार्य करते दिखते हैं।

(5) शासन के तीनों अंग अंतिम रूप से संविधान के आधारभूत मूल्यों के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करते हैं।

(6) लोककल्याण.

(7) संविधान

शासन के तीनों अंग अंतिम रूप से ~~कल~~ लोक कल्याणकारी S० के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में निम्नलिखित मुद्दों पर ~~सब~~ तीनों अंग एक - दूसरे के साथ खड़े नजर आये —

(1) अण्डमान - निकोबार Act, 2012 (ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट) (जारवा का उत्पीड़न)

(2) ~~बहु~~ Multi Brand रिटेल पर कोई मतभेद नहीं

(3) कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लान्ट

~~(4)~~ शासन के अंगों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत में कोई संस्थागत या नियमित व्यवस्था नहीं है, इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं :-

(1) अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं की तर्ज पर एक अंतर्घटकीय परिषद की स्थापना की जा सकती है।

(2) तीनों अंगों के प्रमुखों की संयुक्त व नियमित सम्मेलन की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) (Pres तीनों में समन्वयक की भूमिका निभा सकता है।)

Pres तीनों अंगों के वास्तविक प्रमुखों को आपस में जोड़े रखने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

Qus :- DOP की संकल्पना अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन यह सिद्धांत अलग-2 व्यवस्थाओं में अलग-2 रूपों में दिखता।

Qus :- शासन के अंगों के बीच विवादों का मूल कारण शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन नहीं कुछ और है।

Qus :- भारत में संसदीय बनाम न्यायिक सर्वोच्चता का विवाद चिरस्थायी है, (लम्बे समय से चला रहा है) और भविष्य मे इसके और गहराने की संभावना है, सउदाहरण प्रस्तुत करे।

Qus :- विधा-ज विवादों के मूल में DPSP व F.R. का अंतर्विरोध छिपा है।

Qus :- हाल ही के दिनों में शासन के अंगों में बढ़ती कटुता का प्रमुख कारण न्यायिक अतिसक्रियता को माना जाना चाहिए।

) संकल्पना   Art 77 / 1949 —| मंत्रालय तथा विभाग |→ ब्रिटिश काल में only Depart
) विभागीकरण   सचिवालय :- सचिवों का कार्यालय
के सिद्धांत   ब्रिटिश काल → मं० या वि० प्रमुख → सचिव
)   ,, ,, ,, का कार्या० → सचिवालय

सभी सचिवों के कार्यालय
↓
सचिवालय
↙ ↘
केन्द्र   राज्य

ब्रिटिश काल में केन्द्रीय सचिवालय → विभागों का समूहन

स्वतंत्रता बाद ⇒ ~~मंत्रा + विभाग~~
विभाग को मंत्रालय कहा जाने लगा
मंत्रालय (मंत्री)
(मंत्रालयों का समूहन)

स्वतंत्रता के बाद के० सचिवालय नाम bcoz ① मंत्रालय का द्वि पद सोपान बनाया
मंत्रालय
↓
विभाग

∴ इसे केन्द्रीय सचिवालय कहा
② कई मंत्रालय को केवल विभाग ही रखा → eg:- अंतरिक्ष विभाग,
③ योजना आयोग, PMO भारत सरकार के विभाग हैं

केन्द्रीय सचिवालय
↓
मंत्रालय   स्वतंत्र विभाग   संस्थाएं (जिन्हें विभाग का दर्जा प्राप्त)

स्वतंत्रता के समय विभाग ⟹ 18 — 2013 में 56 (includes) मंत्रालय + स्वतंत्र विभाग 1 संस्थान

मंत्रालय/विभाग क्यों बनाये जाते है

1) सरकारी कामकाज ↑
⇓
विशेषीकरण की जरूरत
⇓
कार्यात्मक विभाजन
⇓
संगठनों का जन्म (Ministry / dept.)

विभाजन कैसे :-
- लूथर गुलिक :-
का विभागीकरण का सिद्धांत (4 P's)
↳ विभागों का निर्माण चार आधार पर हो → संघा
↳ Purpose (उद्देश्य) → मूलभूत कार्य / उद्देश्य → वित्त
↳ Process (प्रक्रिया)
↳ Person (व्यक्ति)
↳ Places (स्थान)

Purpose → (+)ve • समस्त कार्य एक स्थान पर संभव
→ (−)ve • अत्यधिक कार्यभार के कारण विशेषीकरण नहीं हो पाता है।
⇓
∴ विशेषज्ञों पर जाता है तो प्रक्रिया

Process (प्रक्रिया) → Law, PWD, space, Nuclear
(+) विशेषीकरण — (−) जनता से दूरी

(प्रशासन को छोटे-छोटे भागों में बांटना → विभिन्न Adm.)

Person (व्यक्ति) → विभाग वर्ग विशेष / लक्ष्य समूह हेतु
(+) • Protection of निर्बल
• समतामूलक समाज
(−) • सा. मंत्रालय महिला व बाल विकास
• युवा कल्याण मंत्रा.

Place (स्थान) :→ जहाँ पर विभाग मूल रूप से भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित हो Ex→ विदेश मंत्रालय, रेलवे
(+) • remote area का विकास
(−)

Note :- प्रत्येक विभाग में 4 P होते है, but एक P अधिक प्रभावी

मंत्रालय या विभाग की संकल्पना का आधार कार्य विभाजन का सिद्धांत है, Govt. works की जटिलता बढ़ने के साथ-2 उसके व्यवस्थित विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई, और मंत्रालय या विभाग जैसी संस्थाओं का उदय हुआ। इन संस्थाओं का व्यवस्थित रूप देने हेतु लूथर गुलिक ने विभागीकरण का सिद्धांत दिया, जिसे 4P's Theory भी कहते हैं। लेकिन imp बात यह है, कि वर्तमान में कार्यरत कोई भी मंत्रालय या विभाग किसी एक पी पर आधारित हो सकता है, लेकिन चारों पी से प्रभावित होता है।

III) भारत में विभागीकरण की शुरुआत :-

भारतीय प्रशासन में विभागीकरण की शुरुआत 1843 में हुई, जब बंगाल सचिवालय से केन्द्रीय सचिवालय को अलग कर उसमें 4 imp. विभाग गृह - वित्त - रक्षा - विदेश स्थापित किये गये। तत्पश्चात 1861 के एक्ट से पोर्टफोलियो प्रणाली को लाया गया। जिसमें (पहले विभागों हेतु लिपिक था मंत्री) (प्रत्येक) विभागों को विशिष्ट मंत्रियों को दिया जाने लगा। सम्पूर्ण ब्रिटिश काल में विभागों की संख्या सीमित बनी रही (bcoz → ① regulatory भूमिका ② व्यय कम रखना) क्योंकि ब्रिटिश शासन नियामकीय शासन था, और दूसरी ओर ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, कि उनका प्रशासनिक व्यय बढ़े।

स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय सचिवालयी प्रणाली में कुछ नवीन परिवर्तन दिखाये गये जैसे -

(1) अब विभागों का स्थान मंत्रालयों ने ले लिया

(2) कुछ स्वतंत्र विभाग भी बनाये गये

(3) Imp प्रशासनिक संस्थाओं को विभाग का दर्जा

किया जाने लगा।

(4) मंत्रालय + विभागों की संख्या तेजी से बढ़ी (b(c) राज्य का दर्शन कल्याणकारी हो गया (5) अब मंत्रालयों या विभागों में दोहरे प्रमुख दिखायी देने लगे प्रमुख

- राजनीतिक प्रमुख ⇓ मंत्री
- प्रशासनिक प्रमुख ⇓ सचिव

(6) केन्द्रीय सचिवालय को क्षेत्रीय सिस्टम या विभाजन प्रणाली से जोड़ा गया। जिसके तहत इसे मुख्यालय व क्षेत्रीय संस्थानों में बाँट दिया।

विभाजन प्रणाली (सचिवालय)

- मुख्य सचिवालय (सचिव) JS / Sec (मुख्यालय) ⇓ Work in Central / S Capital
- क्षेत्रीय संस्थान (यहाँ Director) (निदेशालय Directory) ⇓ Work on जमीनी स्तर

(7) मंत्री को नीति निर्माण में प्रशासनिक व तकनीकी सहायता प्रदान करना बताया गया। — बनायी गयी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना।

निदेशालय के दो कार्यालय

- संलग्न कार्या. → Dual भूमिका
  - मुख्यालय को तकनीकी सलाह
  - अधीनस्थ को आदेश
  - शीर्ष का कार्य ⇓ Eg (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)
- अधीनस्थ → मूल कार्य Eg (सरकारी स्कूल) → धरातल पे सही नीति लागू

split system

भारत में सचिवालय मॉडल ब्रिटेन के व्हाइट हॉल मॉडल से जुड़ा है, लेकिन व्हाइट हॉल मॉडल में split system नहीं है। यह प्रणाली स्वीडिश system से ली गई है।

इस प्रणाली को अपनाने के लिए तर्क हैं →

(1) क्रियान्वयन से मुक्त सचिवालय नीति निर्माण में प्रभावी योगदान देना।

(2) सचिवालय, निदेशालय की कुछ भौगोलिक दूरी निदेशालय से आये नीति प्रस्तावों को वस्तुगत निष्ठता से आँकेगी।

(3) सचिवालय में कार्यभार कम होगा

(4) सचिवालय में सत्ता केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति करेगी

(5) सचिवालय की विस्तार की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

लेकिन Split S. के क्रियान्वयन के दौरान कुछ समस्याएँ भी दिखायी देती हैं, जैसे →

(1) समन्वय का अभाव

(2) श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्द्धा

(3) आरोप - प्रत्यारोप

(4) एक - दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह

(6)

इन कारणों से भारत में सचिवालय - निदेशालय संबंध अत्यंत कटुतापूर्ण हो गये हैं।

नीति क्रियान्वयन वाले नीति निर्माण में & vice versa

नीति निर्माण ⇄ निति क्रियान्वयन (Tenure system)

(7) ⇒ स्वतंत्रता के बाद अवधि प्रणाली का विकास :-

दिल्ली के डेपुटेशन

यह प्रणाली 1905 में कर्जन ने प्रस्तुत की, उनका मानना था कि भारत में शासन दिल्ली व शिमला से किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन हेतु हमें क्षेत्रीय मैदानों में जाना होगा। और इसके लिए उच्च प्रशासकों को मुख्यालयों व क्षेत्रीय संस्थान के बीच निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त ~~व प्रतिनियुक्त~~ किया जाना चाहिए।

Deputation some as Tenure system

स्वतंत्रता के बाद अवधि प्रणाली के लाभों का देखते हुए, इसे निरंतर रखा गया। 1957 में Central Admin Pool (केन्द्रीय प्रशासनिक समूह) बनाकर इसमें उन अधिकारियों को रखा जाने लगा, जिन्हें अवधि प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

नियुक्त

अवधि प्रणाली के लाभ :-

(1) जब सचिवालय से नीति ज्ञान लेकर क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी जायेंगे, तो उसे बेहतर रूप में लागू करेंगे।

(2) जब निदेशालय से क्रियान्वयन का अनुभव लेकर सचिवालय जायेंगे, तो नीतियाँ अधिक व्यवहारिक बनेगी।

(3) सचिवालयी लाभों जैसे प-D को प्राप्त करने में अवसरों की समानता।

(4) सचि- निदेशालयों के बीच कर्मचारियों के आदान-प्रदान से संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी।

(5) इस प्रणाली से सहकारी संघवाद को मजबूत होगा।

(6) देश की एकता व अखण्डता को मजबूत

अवधि प्रणाली का कमजोर होना :-

(1) सचिवालय में पदस्थ अधिकारी अपने राज्य कैडरों में वापस लौटना नहीं चाहते।

(2) कई अवसरों पर राज्य सरकारें अपने उत्कृष्ट अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति देने से इंकार कर देती हैं।

(3) अब केन्द्रीय सचिवालय में सीधी भर्तियाँ होने के प्रति नियुक्ति के अधिक अवसर नहीं बनते हैं।
(1948 से Central सचिवालय सेवा का exam)

(4) सचिवा. की कार्य प्रणाली की जटिलता बढ़ने के साथ प्रतिनियुक्ति से आए अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न उठने हैं?

(5) अवधि प्रणाली का aim अधिकारियों को मजबूत बनाना था, लेकिन व्यवहार में अधिकारियों की कीमत पर कार्यालय अधिक मजबूत हो गया। परिणामस्वरूप

अवाध्य प्रणाली बालू प्रणाली को प्रभावित कर रही है।

IV) भारतीय सचिवालय की कार्य प्रणाली दो पद्धतियों के संचालित

- विभाजन
- अवधि

V) मंत्रालय / विभाग की संरचना / पदाधिकारी :-

(मुख्यालय) → मंत्रालय (Ministry)
↓
विभाग (Dept.)
↓
स्कंध (Wing)
↓
प्रभाग (Division)
↓
शाखा (Branch)
↓
अनुभाग (Section)

(Wing, Division, Branch) → सभी मंत्रालयों मे ये हो भी सकते है, नहीं भी depend on प्रशासनिक सुविधा

मंत्रालय / विभाग की संरचना / पदाधिकारी.

- राज०
- प्रशा०

राज० ↓

कैबिनेट ←
राज्य ← - मुख्यालय / सचिवालय
(स्वतंत्र प्रभार, अस्वतंत्र)
मंत्रालय / विभाग
उपमंत्री ← ये 1967 से Central
(बड़े मंत्रियों को कार्य में सहायता देना)
संसदीय सचिव → Govt. मे नहीं
जबकि S. Govt. में यह होते है।

Note
कैबिनेट-राज्य या उपमंत्रियों का दर्जा है, लेकिन मंत्रालयों का नहीं

Ex → Govt Minister

प्रशासनिक पद सोपान

मुख्यालय (सचिवालय)

सचिवों का पद सोपान

मंत्रालय/विभाग — सचिव/ विशेष सचिव/ Spl sec. अतिरिक्त सचिव Add sec

कुछ मंत्रालयों/विभागों में सचिव

स्कंध (Wing) → अतिरिक्त सचिव → may be/may not be / संयुक्त सचिव (J.S) (Generally नहीं होता है)

प्रभाग (Div) → उपसचिव (Depty Sec)

शाखा (Br) → अवरसचिव (Under Sec)

अनुभाग (section) → section officer

General सचिवालय-off.

Sec → J. S. → D.S. → Under sec → Sec. office

क्षेत्रीय संस्थान (निदेशालय)

निदेशकों का पद सोपान

Director General of Police — महानिदेशक / Director / DGP

Joint " (JG)

Dipti "

Assis D.

Sec ↓ Sp Sec. ↓ Add. Sec. ↓ Joint Sec. — Top प्रबंधन (Sp Sec. और Add. Sec. → प्रशासनिक अधिकारी है)

Deputy S. ↓ Under sec — midd

↓ S.O. + कर्मचारी — अधीनस्थ प्रबंधन

राज्य सचिवालय में Assistant sec. ↳ यह भी प्रशासनिक अधिकारी

सचिवालय

- अधिकारी: Sec → S.O.
- कर्मचारी: UDC, LDC, Type, peon

(5) [illegible]
(6) पर्यावरण
(7) HRD

(12) PMO
(प्रधानमंत्री कार्यालय)
(13) NDC
(National Devl Council)

(1) स्थापना / इतिहास (पृष्ठभूमि) => महत्व
(2) उद्देश्य / भूमिका (aim के acc. कार्य)
(3) संरचना (chart)
विभाग स्तर (मंत्रा)
ii) क्षेत्र तो ग्राम स्तर तक
(4) कार्य

मूल्यांकन
(5) चुनौतियाँ
(6) प्रयास
(7) सुझाव
→ Ques. should be from here.

सीमा विभाग की चुनौतियाँ
↳ कैरन सेक्टर में घुसपैठ

गृह मंत्रालय है।

H.M. को भारतीय सचिवालय संरचना में जननी मंत्रालय के रूप में देखा जाता है। इसकी स्थापना 1853 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गयी। लेकिन तब से अब तक यह मंत्रालय सरकार से जुड़े विविध प्रकृति के कार्यों को संपादित कर रहा है। इसलिए इसे जटिल व विस्तृत मंत्रालय के रूप में देखा जाता है।

उद्देश्य है। H.M. शांति व सौहार्द, विकास व उन्नति, सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति तथा भारत को स्वशक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने हेतु तत्पर है, इसीलिए इसे आंतरिक सुरक्षा सीमा संवर्धन

और C-S संबंधों जैसी Imp. भूमिका दी गयी है।

Art - 77

↓

Brz → नियम/विनियम (सारे काम Brz के नाम से)

कार्यपालिका sys. ← Govt. of India Allocation of Business Rules, 1961

सरकार के कामकाज को अलग-2 विभागों में बांटना

↳ " " Transaction " " "

1961 के Alloc of B. R. के तहत H. M. को छः विभागों में बांटा गया है।

Home Minis.

1) सीमा प्रबंधन विभाग
- देश की स्थलीय व तटीय सीमाओं की सुरक्षा

2) आंतरिक सुरक्षा विभाग
- कानून व्यवस्था
- पुलिस
- अर्धसैनिक बल
- पुलिस से जुड़े मामले

(3) राज्य विभाग
- C-S संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध

(4) गृह विभाग
- Brz, vice-Brz द्वारा पदधारण
- P.M व अन्य M. की नियुक्ति
- राज्यपाल व UT's के प्रशासकों की नियुक्ति
- जनगणना आंकड़ों का प्रबंधन (through महारजिस्ट्रार)

(5) J&K विभाग
- संवैधानिक प्राव. के अंतर्गत J&K से जुड़े विषयों का प्रशासन जो विदेश मंत्रालय को नहीं दिये गये

(6) राजभाषा विभाग
- राजभाषा Act, 1963 के प्रावधान और संविधान में राजभाषा से जुड़े अन्य प्रावधानों को लागू करने से जुड़े कार्य

मूल्यांकन :- स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्रालय ने जननी मंत्रा. के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से निभाया है, इसका प्रमाण है, कि सरकार से जुड़ी कोई भी भूमिका या नई भूमिका को कैबिनेट सचिवालय या H. M. को सौंपा जाता था। इसके अलावा भारत के अधिकांश उप-P.M., गृह मंत्रा. से जुड़े रहे हैं। गृह मंत्री संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है, और क्षेत्रीय परिषदों का भी पदेन प्रमुख होता है। इससे गृह मंत्रा. का imp. और बढ़ जाता है, लेकिन H. M. के

(संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष => गृह मंत्री)

(1) अलग-2 कानूनों में समन्वय मुश्किल होता है।

(2) आंतरिक सुरक्षा के मामलों में C-S या S-S में उभरते विवाद Ex- NCTC

(3) J&K के प्रशासन से जुड़े मामलों में संवैधानिक प्रावधानों व केन्द्रीय कानूनों के बीच संघर्ष।

(4) राजभाषाओं के दर्जे को लेकर व आठवीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने को लेकर बढ़ता दबाव

(5) C-S विवादों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषय
- राज्यपालों की नियुक्ति व कार्यकरण
- Pres शासन
- सूचनाओं को साझा करने पर विवाद
- पुलिस Reform

(6) आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा का आपस में जुड़ना (नक्सल issue)

Golden क्रिसेंट (पाक- अफ.) Golden ट्रियंगल (SE Asia)

इन दोनों के बीच में भारत

- दोनों में तस्करी → भारत में मुद्दा ↑ ⟹ देश की आंतरिक सुरक्षा को समस्या

IS व ES में उभरते गठजोड़ को तोड़ने की चुनौती

सुधार

1) समन्वय हेतु एकरूपता लाने का प्रयास

2) NCTC etc संस्थाओं की नियमित बैठक

3) J&K में संविधान के तहत रहते प्रयास

4) राजभाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु

[illegible] जाते हैं।

Ques 2: भारत में मंत्रालय व विभाग केन्द्रीय सचिवालय के अंतर्गत अपने कार्यों को सम्पादित करते हैं, और विभाग [illegible] प्रणाली के सिद्धांतों पर संचालित होते हैं।

Ques 3: भारत के बृहद आकार को देखते हुए सचिवालय की विभागीय प्रणाली ही एक मात्र विकल्प है, हालांकि इसमें अनेक सुधार अपेक्षित हैं।

Ques 4: लार्ड-कर्जन की अवधि प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद भी बनाये रखना, औपनिवेशिक विरासत नहीं भारत की प्रशासनिक आवश्यकता है।

Ques 5: अवधि प्रणाली के कमजोर होने से मंत्रालयों व विभागों के प्रशासन पर दुष्प्रभाव दिखायी देता है।

Ques 6: मंत्रालय विभागों की संरचना व पद सोपानों को दर्शाये।

(1) [illegible]

[illegible]

(4 गुड गवर्नेंस

(5 पारदर्शिता 99

पारदर्शिता

गवर्नमेंट ——→ गवर्नेंस (अभिशासन)
↓ संस्था ↓ प्रक्रिया

Govt यदि सामान्य रूप से शासन ——→ Admn (शासन्य)

Govt यदि उत्कृष्ट रूप से शासन ——→ गवर्नेंस (अभिशासन)

⇓ जब उत्कृष्ट शासन में भी कमियाँ ⇓ तब सुशासन पर बल

⇓ इसी से आगे सुशासन शब्द का विकास हुआ

⇒ आगे वर्ल्ड बैंक ने इसे दशक में मान्यता दिये है)

होमो
↓
मानव
↓
समाज
↓
राज्य
↓
सरकार
↓
कार्यकारी अंग
↓
प्रशासन ——→ (शासन) —1688 क्रांति (इंग्लैंड)—→ (अभिशासन) —1990s—→ सुशासन)

अभिशासन / शासन : गवर्नेंस की संकल्पना वर्तमान समय में राज्य / सरकार बाजार और सभ्य समाज के बीच अंतर्संबंधों (L-E-) को दर्शाती है।

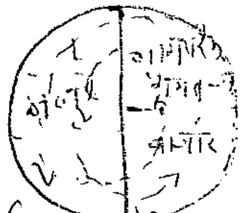

गवर्नेंस व Govt. में मूल अंतर यह है, कि Govt. एक संस्थागत संरचना है, जबकि गवर्नेंस उसका व्यवहारिक रूप। ऐसे में सरकार का दर्शन शासन के दर्शन को प्रभावित करेगा। और जब हम कल्याणकारी S. में सरकारों से जुड़ेंगे तो गवर्नेंस या शासन भी विस्तृत व विविध दिखायी देंगे।

परिभाषा :- 90 के दशक में वैश्विक व भारतीय स्तर पर गवर्नेंस शब्द को परिभाषित किया गया।

वर्ल्ड बैंक के अनुसार :- गवर्नेंस वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राजनीतिक सत्ता राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए समाज की समस्याओं तथा अपेक्षाओं का प्रबंधन करती है।

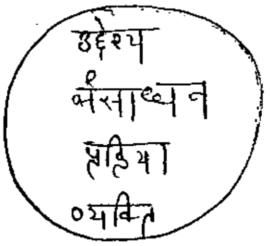

योजना आयोग ने 10th 5YP में :- गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहा था कि उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है, जिसके द्वारा समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का अवसर मिले।

11th 5YP :- 11वी 5YP में प्रजातांत्रिक / अभि शासन के छ: आधार स्तंभ बताये गये हैं।

(1) निष्पक्ष व समयबद्ध चुनाव

(2) सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता व पारदर्शिता

(3) सामाजिक - आर्थिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता

(4) सत्ता का [illegible]

प्रत्यायोजित — तात्कालिक सत्ता / दायित्व

प्रत्यायोजनक — किसी को काम करने को authority दी गयी है, i.e. सत्ता प्राप्त

(5) ... स्थापना

(6) समाज के वंचित वर्गों के हितों व प्रतिष्ठा का संवर्द्धन

(... उद्देश्य ...)

Q) विश्व बैंक के द्वारा Govn की प्रक्रिया को 4 चरणों / उद्देश्य में अभिव्यक्त किया है।

(i) लोक हितों की अभिव्यक्ति व पहचान

(ii) लोक हितों की प्राथमिकता का निर्धारण

(iii) लोक हित अभिपूर्ति हेतु संस्थागत व्यवस्था व रणनीति का निर्माण

(iv) रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन + मूल्यांकन

लोक अपेक्षा व प्रशासनिक क्षमता के बीच की दूरी → budget, संसाधन, न्याय, अधिकार

⇓ प्रशासनिक दूरी / adm lag

⇓ जन शिकायतों का जन्म

⇓ निवारण तंत्र द्वारा समाधान

⇓ प्रशासनिक दूरी ↓

⇓ जन शिकायतें ↓

Factor / कारक of Govn हैं

I) Direct ⇓ प्रशासन के घटक → सीधा

⇓ विधा - कार्य - न्याय / अंग

आंतरिक ⇓ कार्यपालिका

बाह्य — विधा०, न्याय०

II Indirect → अप्रत्यक्ष (सारे कारक बाहय)

— नागरिक समाज (NGO's, VO's, प्रेशर ग्रुप, SHG, अन्य गैर सरकारी ...)

VO (voluntary org), I.G. (हित समूह)

→ मीडिया

Print → Electronic

Print
→ राष्ट्रीय सरकारी संस्थाएं (NDC, PC (प्लानिंग कमिशन))
→ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं (WHO)

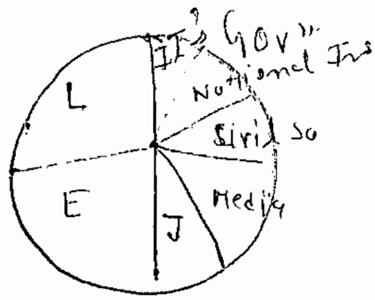

सुशासन (Good Gov")

हर अभिशासन को अंतिम aim

1) अभिप्राय
2) अवधारणा का उदय / विकास
3) आधारभूत आयाम
4) भारत में G.G. के तत्व
5) भारत में G.G. की चुनौतियाँ

सुशासन की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से अस्तित्व में रही है, भारतीय संस्कृति में जिसे रामराज्य या स्वराज का नाम दिया जाता है, वह यही संकल्पना है। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे गीता, महाभारत, अर्थशास्त्र, नीतिसार etc. में इस संकल्पना का वृहद विवेचन किया गया है। लेकिन आधुनिक काल में इसका उदय ब्रिटेन से माना जाता है। 1688 की क्रांति के बाद यह कहा गया, कि ब्रिटिश राजा को शासन नहीं सुशासन करना चाहिए।

बीसवीं सदी के अंत में वर्ल्ड बैंक द्वारा इस संकल्पना को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। विश्व बैंक के विद्वानों का कहना था, कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों में कुशासन के लक्षण दिखायी देते हैं, और ये राष्ट्र असफल राज्य के रूप में आर्थिक सहायता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है, कि इन देशों पर G. G. की शर्त आरोपित की जाये। साथ ही आर्थिक सहायता को सुशासन के मापदण्डों से जोड़ा जाये। इसलिए G. G. शब्द एड्रियन लैफ्टविच नामक विद्वान की देन है। लेकिन यह संकल्पना W. B. द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

आधारभूत मापदण्ड :- W. B. ने 1989 और 1992 में अपनी दो रिपोर्टों के माध्यम से सुशासन के मापदण्ड प्रस्तुत किये, फिर कालांतर में OECD नेशंस व EU के देशों ने इन मापदण्डों का विस्तार किया। मूल रूप से G. G. के 8 आधार स्तंभ चुने गये हैं :-

(1) भागीदारी (Participation) → राजनीतिक विकेन्द्रीकरण
पंचायती राज — प्रशासनिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण आदि

(2) Rule of law :- → कानून सर्वोच्च
→ सबके लिए समान

(3) पारदर्शिता → सरकारी कामकाज में खुलापन

(4) अनुक्रियाशीलता (Responsiveness) :-
जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ~~[illegible]~~ द्वारा लोक शासन

(5) सहमति मूलक (Concensous Oriented)
↳ सभी के बीच आमराय बनाकर शासन

(6) समता (CSC) एवं समावेशिता (ST) → नीकर स्तरों को ऊपर लाना
(Equity & Inclusiveness) → [illegible]

(7) प्रभाविता व दक्षता
(efficiency & effectiveness) ः
(8) जवाबदेहिता

(भारत में G.G.) :- यदि हम I. में G.G. की संकल्पना का मूल्यांकन करे, तो इस संदर्भ में भारत सरकार के प्रयास निम्न रूप में दिखते हैं।
WB की संकल्पना से पूर्व ही प्रयास किये जाते रहे हैं। 1990

पंचायती राज

(1) सहभागिता → पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना
→ ई-गवर्नेंस
→ Decentralised planing

(2) Rule of law → न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विस्तार, जनता में विधिक जागरूकता (National legal literacy)

(3) पारदर्शिता ः RTI, सिटीजन चार्टर, ई-गवर्नेंस

(4) अनुक्रियाशीलता ः लोकसेवा गारन्टी कानून, regulatory कमिशन

(5) सहमति मूलक ः लोकपाल विधेयक → सरकारी निर्णय में सिविल सोसायटी को imp
सरकारी निर्णयों को आम जन का राय हेतु प्रस्तुत

(6) समता व समावेशिता ः वंचित वर्गों हेतु प्रयास ⇒ आरक्षण, SC & ST हेतु प्रयास SHG's का निर्माण,

(7) प्रभाविता व दक्षता ः स्मार्ट Govt, ई-Govt, प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति (Total Quality Management), MBO (Management by objective)
PAS (निष्पादन मूल्यांकन सिस्टम)

(8) जवाबदेहिता ः लोक सेवा गारन्टी कानून, Social Audit.

- राजनीतिक इच्छा शक्ति व प्रतिबद्धता का अभाव

- क्षमता सीमित
  - (इच्छा शक्ति ↓) → 2007 प्रशासकों की सत्ता सीमित

(3) आर्थिक सीमा है-
- G.G. हेतु आधुनिकरण की जरूरत but संसाधन ↓

(4) सामाजिक सीमा है-
- सहमति का अभाव
- सामाजिक वातावरण अनुकूल ना होना

(5) सांस्कृतिक है

(6) तकनीकी है- डिजिटल डिवाइड
- उपलब्धता
- समझ
- अनुप्रयोग के अवसर

(7) वैधानिक बाधाएं (legal barriers) है:-
- जरूरी कानून

2nd ARC ने वर्ष 2005 में "नागरिक केन्द्रित प्रशासन - सुशासन का हृदय" नाम से एक रिपोर्ट पेश → जिसमें सुशासन की पाँच बाधाओं का उल्लेख किया है।

(1) लोक सेवकों की अभिवृत्ति व व्यवहार से जुड़ी समस्या (मानसिकता)

(2) उत्तरदायित्व का अभाव

(3) लाल फीताशाही → भ्रष्टाचार & delay

(4) नागरिकों में अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अभाव

(5) कानूनों व नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन

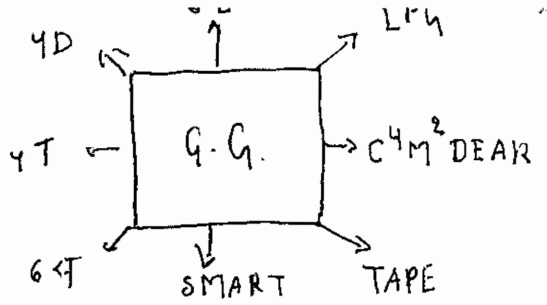

4D → Decentralisation, Democratisation, Delegation, Debureocracy

4T → Transperancy, Totality, Technological Inovation, Time orientation

6 स → सहभागिता, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, समन्वय

for G.G.
- → सरकार के विभिन्न ढाँचे में उदारता → उदारीकरण।
- → PPP, pub sector
- → तकनीकी, प्रबंधन → वैश्वीकरण।

विवाद / कमियाँ

G.G.
- → विकसित देशों द्वारा नवस्वतंत्र देशों को नवउपनिवेशवाद से जोड़ता है।
- → लोकतांत्रिक नहीं ⇒ बाध्यकारी है
- → Dev^{d} → बाजार खोलने की रणनीति
- → पश्चिम के आधुनिक मूल्योंding (पर थोपा जा रहा है।

Qus :- सुशासन की संकल्पना चिरकाल से अस्तित्व में है, लेकिन 20वी सदी के अंत में यह नवीन रूप धारण करती है, व विवादों को भी जन्म देती है।

Qus :- भारत में G.G की संकल्पना एक हितावलम्बन है, स्वतंत्रोत्तर प्रयासों के बावजूद अभीसुशासन के मार्ग मे कई चुनौतियाँ विद्यमान है।

Qus :- जनता शासन से जो भी अपेक्षाएँ रखती है, उसे G.G. के लक्ष्य बनाये जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने पर इस संकल्पना को सीमा में बाँधना संभव नहीं होगा।

Ques :- 11th 5yp में प्रजातांत्रिक शासन के लिए कई आधारस्तंभ रखे गये हैं, आपकी राय में भारत में इन्हें किस मात्रा में सुनिश्चित किया गया है।

Ans -

10th 5yp मे सरकार द्वारा G.G. हेतु किये गये प्रयास/उपाय जिनका उल्लेख 11th 5yp के draft पेपर में किया गया है →

1) 2005 में लाया गया RTI

(2) VAT → संसाधन ↑ → G.G. ↑

(3) All India Services को कार्यकाल की स्थिरता से जोड़ना

(4) प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देने की बाध्यता

(5) 27 क्षेत्रों में नेशनल E-Govt. प्रोग्राम

(6) MNREGA, NRHM कार्यक्रम etc.

(7) डिजास्टर मैनेजमेंट आयो०

(8) कोपरेट policy for NGO's

(9) द्वितिय प्रशा० सु० आयोग

(10) प्रशा० सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा G.G. के मापदण्डों की व्याख्या

जवाबदेहिता (Accountability)

I) संकल्पना

II) आयाम

III) स्वरूप / प्रकार

IV) प्रशा० जवाबदेहिता क्या / आयाम

V) लागू करने के उपाय

वैधानिक ← जवाबदेहिता (A/C) → दायरा व्यापक

नैतिक ← उत्तरदायित्व (Responsibility)

क्षेत्र विशेष में सीमित ← प्रतिदायित्व (Answerability)

दायित्व बोध – (Liability)
↓
अधिक सीमित / नैतिक

→ Generally समान A/C बड़ी – बाकि इसके तहत

⇒ जब किसी को कार्य ⇒ उत्तरदायित्व + सत्ता
↳ निहित
In → १) कार्य
+
२) अधीनस्थों की स्वीकृति

note :- सत्ता का अनुप्रयोग सही ढंग से हो (ex → सीमित)
⇓
इसके लिए जवाबदेहिता तय

इसके क्रियान्वयन ← हेतु
↳ कुछ नियंत्रण (ex – चुनाव)

जवाबदेहिता

- समान सोपान में — Horizontal (क्षैतिज) VS Vertical (उर्ध्वाधर)
  - १) (सारे मंत्रालय वित्तीय मार्ग हेतु वित्त मंत्रालय हेतु जवाबदेह)
  - २) CAG
- तात्कालिक (Immidiate) VS अंतिम (ultimate)
- संस्थागत (Inst.) / व्यक्तिगत विधिक

⇒ Mostly A/C → verticle होती है।

तात्कालिक → कार्य के प्रति सीमित

संस्थागत / आत्मानुगत A/C

- → संगठन के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं (साध्य)

प्रक्रियागत A/C

- → सही तरीके से कार्य (साधन)

वित्तीय A/C

- → 3E

प्रशासनिक जवाबदेहिता & नियंत्रण

- आंतरिक
  - (स्थायी कार्यपालिका) Departmental
    - इसे लागू या नियंत्रित करने के उपाय
      - appointment
      - Removal
      - आचार संहिता
      - Rules & Regulation
- बाह्य
  - विधायिका द्वारा
  - कार्यपालिका (अस्थायी / राजनीतिक)
  - न्यायिक
  - जनता के द्वारा
  - Civil Society
  - Media

विधायिका के प्रति जवाबदेहिता लागू करने के उपाय

- प्रश्नकाल, शून्य, प्रस्ताव, चर्चाएँ
- समितियों के द्वारा
  - स्थायी (Standing)
    - PAC
    - लोक उपक्रम
    - अनुमान समिति
  - अस्थायी (Adhoc) → JPC

राजनीतिक कार्यपालिका

↓ लागू

1. कानून बनाकर (लोक सेवा संबंधी) → All I.S. rules
2. नियुक्ति / पदनियुक्ति
3. आचार संहिता का निर्माण
4. अनामिता
5. तटस्थता
6. निरव्यक्तिकता

प्रशासन की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता है।

⇓

इसे लागू करना → न्यायिक नियंत्रण कहलाता है।

⇓

इसके उपाय

- न्यायिक पुनरावलोकन
  - PIL
  - रिट
- A-299
  - ↳ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें
- A-300
  - ↳ सरकार (C/S) के विरुद्ध मुकदमे

प्रशासन की जनता के प्रति A/C

⇓

इसे लागू करना ⟹ जन नियंत्रण

⇓

उपाय

- चुनाव (अप्रत्यक्ष)
- Recall
- सलाहकारी संस्था
  - (Govt – Citizen के बीच मध्यस्थ)
  - नागरिक की अपेक्षा – शिकायतों को Govt
  - Govt ——सीमाओं——→ नागरिक
- दबाव समूह
- NGO's/VO's
- मीडिया
  - प्रिंट
  - इलेक्ट्रॉनिक
  - (हर Dept में now जन संपर्क अधिकारी
  - ⇓
  - मीडिया को विभिन्न जानकारी

तटस्था ⇓ किसी के विरुद्ध

पारदर्शिता (transparency)

पारदर्शिता ⟶ जवाबदेह

I) संकल्पना / अर्थ

II) आयाम

III) महत्व

IV) T लाने के विभिन्न उपाय
- RTI
- लोक सेवा गारन्टी Act
- सिटिजन चार्टर
- ई-गवर्नेंस
- निगमित प्रशासन
- सुशासन (WB – TRAP, participative)

पारदर्शिता, Responsibility, Anticipatory

T. को G.G. का आधारस्तंभ कहा गया है। G G की यह अनिवार्य शर्त है, कि जनता को सरकार की संरचना, प्रक्रिया व कार्यव्यवहार के संबंध में पूर्ण जानकारी हो। और इस जानकारी का प्रयोग कर जनता Govt. को नियंत्रित कर सके। ऐसी सरकार जो अपनी संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार में खुलापन दर्शाती है और स्वयं को (पब्लिक स्क्रूटनी) जनता की जांच हेतु उपलब्ध करती है, पारदर्शी सरकार कहलाती है। (T G)

आयाम :- T. G. में पारदर्शिता से जुड़े प्रमुख आयाम हैं।

(1) जनता के साथ खुले पन से व्यवहार
(2) जनता के साथ सूचनाओं को साझा करना
(3) सूचनाओं तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करना।
(4) सूचनाओं को पूर्ण व अद्यतन बनाये रखना (no फेरबदल)
(5) सूचनाओं की वस्तुनिष्ठता (जैसी है वैसी ही रखना) व सत्यता को सुनिश्चित करना।

(6) सूचनाओं को प्रदान करने में आनाकानी को ध्यान रखना।

(7) जनता को सूचना माँग हेतु सशक्त बनाना।

महत्व :

(1) शासन की जवाबदेहिता को तय करने में

(2) शासन के अंगों में नैतिकता व लोक मूल्यों का सृजन

(3) सरकार की कमियों को उजागर करने में

(4) गोपनीयता की संस्कृति से बाहर लाने में

(5) भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में

उपाय : ~~लोक~~ विरत के राष्ट्रों में हेतु कुछ आधारभूत उपाय अपनाये गये हैं, जिनमें प्रमुख हैं —

(1) RTI (2) Citi C (3) ई-गवर्नेंस (4) लोक सेवा गारन्टी (5) पारदर्शी Gov^n (6) सु०

स्वतंत्रता स्वतंत्रता Act
↓
RTI (2005)

RTI :

I) संकल्पना

II) विकास

III) भारत में सूचना का अधिकार

IV) अधि० के imp. पक्ष
- सूचना की परिभाषा
- लोक संस्थाओं की परिभाषा
- संस्थागत ढाँचा
- प्राधिकारी
- I प्राप्ति की प्रक्रिया
- RTI के दायरे से बाहर → संस्थाएँ / सूचनाएँ

V) मूल्यांकन
- (+)^ve
- चुनौतियाँ / सीमाएँ

VI) सुझाव

VII) Political Parties & RTI

संकल्पना :- RTI सहभागी लोकतंत्र का मूलाधार है, शासन को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने हेतु यह आवश्यक है, कि शासकीय सूचनाओं पर ना सिर्फ जनता की पहुँच हो, बल्कि उन सूचनाओं को प्राप्त करने का सामर्थ्य भी जनता में हो, इसी aim से सभी कल्याणकारी राज्यों में जनता को मूल अधि० के रूप में RTI प्रदान करने की माँग की जाती है। भारत में भी इस संदर्भ में RTI Act, 2005 पारित किया है।

RTI का दर्शन/आयाम => same as पारदर्शिता के आयाम

विकास :- RTI सर्वप्रथम स्वीडन में 1766 में प्रदान किया गया। इसके बाद अन्य स्कैंडिनेवियाई C. जैसे फिनलैंड (1951), नार्वे (1970), डेनमार्क (1970) में भी इसे लाया गया। USA में वहां सूचना स्वतंत्रता Act, 1966 व ब्रिटेन में सूचना स्वतंत्रता Act, 2005 के तहत प्रदान किया गया।

भारत में 1990 के दशक में RTI हेतु उग्र आंदो० की शुरुआत हुई। मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) ने राजस्थान में ग्रामीण लोककार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को उठाते हुए कार्यों से जुड़ी जानकारी की माँग की गई। तत्पश्चात ~~लोकसत्ता ग्रामक NGO~~ Peoples union for (~~Peoples union~~ सिविल लिबर्टी जैसे NGO's ने इस संबंध में दबाव बनाया) भारत सरकार ने 1997 में H. D. शौरी की अध्यक्षता में पारदर्शिता व A/C पर एक कार्यबल बनाया। जिसकी सिफारिशों के आधार पर 2000 में सूचना स्वातंत्र्य विधेयक पेश किया गया। जो वर्ष 2005 में Act बना। इसके प्रारंभिक क्रियान्वयन के दौरान जवाबदेहिता, सहभागिता, प्रभाविता (effectiveness)

3) कमियाँ पायी गयी | परिणामस्वरूप 2005 में इसे नये (बेहतर) RTI Act के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सूचना क्या है — सरकारी कार्यों से जुड़ा कोई भी कामकाज (Direct & Ind.)

लोक संस्था है — through संवि० / कानून / आदेश by कार्यपालिका
या
प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी वित्त पोषित है।
या
किसी न किसी रूप में जनता के प्रति जवाबदेह

संस्थागत उपाय

- C → केन्द्रीय I C
  - केन्द्रीय सूचना आयुक्त + — Maximum 10 — नियुक्ति by राष्ट्रपति (PM + केबि by PM + विपक्ष)
- S → S I C → राज्यपाल (मुख्यमंत्री + विपक्ष + ___)

प्राधिकारी है —
- हर Department में P I O नियुक्त (Public) — कार्यवाही — दूसरे विभाग
  - सहायता हेतु A P I O ← आवेदन यहाँ

प्रक्रिया
- निर्धारित प्रारूप
  - अवधि
    - A P I O → 35
    - P I O → 30
    - स्वतंत्रता → 48 घण्टे

सुरक्षा एजेंसी बाहर → धारा - 2 ⇒ मांगी सूचना जीवन की H R हनन + भ्रष्टाचार से संबंधित है → 45 days में सूचना देने को पूर्व C I C की अनुमति

मामला → अपील

↳ PIO के बाद मामला

(हर department में) — Designated High officer → 1 माह राहत

SIS ,,

↓

CIS ,,

↓

HC

↓

SC

why दखल — तात्कालिक bcoz of

↳ RTI अधिकारिता

↳ F. R. के रूप में शरणगत

Que है RTI की संवैधानिक स्थिति क्या?

1975 ⇒ राजनारायण vs UP Govt.

↳ RTI A-19(1) और 21 में निहित है।

by Supreme Court

दायरे से बाहर :-

↳ देश की सामरिक — आ० सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियाँ

Ex :- → गुप्तचर संस्थाएँ → (IB, RAW)

↳ अर्द्धसैनिक बल → (ITBP

↳ जाँच एजेंसियाँ → (CBI, RTI)

but धारा-2 का विकल्प

सूचनाएँ :-

(1) एकता - अखण्डता को प्रभावित करने वाली सूचनाएँ

(2) सामरिक - वैज्ञानिक - आ० हितों से जुड़ी I.

(3) अंतर० संबंधों को प्रभावित करने वाली I.

(4) मंत्रिमण्डलीय निर्णय से जुड़ी I.

(5) संसद या राज्य विधानमण्डल के विशेषाधिकार को

प्रभावित करने वाली सूचनाएं।

(6) सार्वजनिक सुरक्षा व लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं

(7) व्यापारिक - वाणिज्यिक गोपनीय से जुड़ी जा०

(8) वे सूचनाएं जिनसे न्यायिक अवमानना संभव हो

(9) व्यक्ति की भौतिक सुरक्षा या निजि जीवन से जुड़ी हो जो, जिनका लोकहित से कोई संबंध ना हो।

(10) वे सूचनाएँ, जो सरकारी जाँच - पड़ताल या न्यायिक कार्यवाही में बाधक होती हैं।

मूल्यांकन :-

(+)ve → same as पार० imp.

(1) प्रशासन को पारदर्शी + जवाबदेह बनाने से जुड़े लाभ

(2) जनता - प्रशासन के बीच दूरी ↓ / प्रशासन में जन सहभागिता

(3) प्रशासनिक निर्णयन में गोपनीयता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना

(4) भ्रष्टाचार + भाई - भतीजावाद ↓

(5) प्रशा० कार्य प्रक्रिया से जनता को अवगत करवाकर अनुक्रियाशील प्रशासन को लाना

(6) प्रशा० सेवाओं की गुणवत्तापरक + समयबद्ध ~~सेवाओं~~ उपलब्धता की सुनिश्चितता।

(7) भारतीय प्रशासन में प्रजातांत्रिक दर्शन को स्थान देना।

(i) तमिलनाडु (ii) गोवा 1997
2000 - राज०, कर्नाटक, दिल्ली
2001
2003 — M. P.

सीमाएँ/चुनौतियाँ है

(1) वैधानिक चुनौतियाँ – RTI कानून का विरोधाभास
(प्रशा०) गोपनीयता से जुड़े अन्य कानूनों से दिखता है

(i) भारतीय साक्ष्य Act, 1872
(ii) प्रशासकीय गोपनीयता Act, 1923
(iii) All India Services (Conduct Rule), 1954
(अखिल भारतीय सेवा (आचरण अधि०)
(iv) केन्द्रीय सेवा आचरण Act, 1955
(v) रेलवे सर्विसेज Conduct Rule, 1956

(2) प्रशासनिक मनोवृत्ति में परिवर्तन से जुड़ी समस्याएँ है
– भारत में प्रशासकों को गोपनीय संस्कृति में काम करने की आदत है, इससे उन्हें सत्ता का लाभ
⇒ RTI ↓ ⇒ है mentaly prepare नहीं

(3) यथास्थितिवाद है – भारतीय प्रशा० तंत्र में जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो की सोच

(4) कार्यभार ↑ है (Documentation)
↳ प्रशासकों का अधिकांश समय → RTI जवाब में
⇓
कल्याणकारी कार्य ↓

(5) विकास कार्यों में अवरोध है
RTI → PIL → कोई सरकारी योजनाओं को रोक

(6) लोकप्रियता हेतु RTI

(7) RTI for ब्लैक मेलिंग
↳ 30 Nov, 2006 में सरबजीत राय VS DERC case में CIC ने यह निर्णय दिया, कि ब्लैक मेलिंग की जो O-Id रूप से अनुचित ... कार्यों से जुड़ी है,

और जनता के प्रति जवाबदेह हैं, RTI के दायरे में आयेंगी।
(8) Public awareness

जानकारी → इच्छा → ~~अवसर~~ क्षमता → अवसर

(9) RTI के दायरे से बाहर अनेक संस्थाओं – सूचनाओं को रखा जाना

(10) ~~अवसर~~ प्रक्रिया क्लिष्ट

आवेदन, अपील, तत्पश्चात दोनों में विलम्ब + समय संबंधी बाध्यता (अपील संबंधी)

(11) 20 year limitation clause :-
अधिकांश लोक संस्थाओं पर 20 साल से पुरानी सूचनाओं को रखने की बाध्यता नहीं है।

(12) RTI कार्यकर्ताओं पर हाल के दिनों में हमले (शेहला मसूद)

(13) संशोधनों के द्वारा RTI को कमजोर करने की साजिश

RTI को बेहतर बनाने के उपाय :-

- नवीन कानूनों → सावधानी
- मनोवृत्ति → प्रशिक्षण
- कार्यभार → Best officer system
  RTI आवेदनों की जाँच हेतु APIO के नीचे एक सहायक अधिकारी ताकि अनावश्यक आवेदनों पर रोक लगे
- विकास कार्य जारी रहे → इसके लिए RTI से जुड़े कार्य हेतु RTI cell
- जागरूकता → media, नागरिक s, मीडिया।
- RTI कार्यकर्ता की सुरक्षा हेतु विसलब्लोअर जैसे प्रावधान

- प्रक्रियागत सरलीकरण।
- P— प्रशासनिक प्रतिबद्धता।

CIC ने जून, 2013 में अपने एक निर्णय में यह स्थापित किया कि Political दल भी RTI दायरे में आते हैं, bcoz वे public authority या सार्वजनिक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। उन्हें Public Autho. मानने के पीछे निम्न तर्क हैं :-

- वे O - Id. लोक वित्त से पोषित हैं, (सस्ती जमीन, tax रियायत)
- bcoz उन्हें प्रदत्त वित्तीय रियायतें जैसे जमीन खरीदी, कर रियायतें लोक धन पर प्रभाव डालती हैं।
- राजनीतिक दलों को सरकारी प्रचार तंत्र के निःशुल्क प्रयोग की अनुमति होती है।
- राजनीतिक दल लोक जवाबदेहिता व लोक नियंत्रण को स्वीकार करते हैं।
- P. P. की भूमिकाएँ व कार्य जनता से संबंधित हैं।

उपरोक्त आधारों पर CIC ने 6 P. P. को अपनी आय व कामकाज से जुड़ी सूचनाएँ जनता को प्रदान करने का आदेश दिया। (कां, BJP, बसपा, CPI, CPI(M), INC) जिनमें से CPI को छोड़कर अन्य Political दलों ने सूचनाएँ प्रदान करने से मना किया। उनका मानना था, कि P. P. RTI दायरे में नहीं आते और CIC का यह फैसला जन प्रतिनिधित्व कानून (RPA) तथा संसदीय विशेषाधिकारों के खिलाफ है। इसके अलावा उनके तर्क थे :—

1) सभी राजनीतिक दल अपनी सम्पत्ति, आय-व्यय का ब्यौरा आयकर विभाग और चुनाव आयोग को प्रदान करते हैं।
2) RPAct व आयकर कानून के तहत ऐसे पर्याप्त

नावर्ड़ जो राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े हैं।
3) राजनीतिक दल यदि RTI के दायरे में आयेंगे, तो उनके सामान्य कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा।
(4) इसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधी छवि खराब करने या ब्लैकमेलिंग हेतु कर सकते हैं।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर सभी राजनीतिक दलों ने आपसी सहमति से Aug, 2013 में RTI संशो० बिल, लोकसभा में प्रस्तुत किये, जिसमें Public Authority की परिभाषा को इस प्रकार बदला है, कि (सार्वजनिक) राजनीतिक दल इसके दायरे से बाहर हो सके। (पुर्नपरिभाषित) इस विधेयक के पेश होने के C.S. द्वारा इसके विरोध में "Anti Amendment Movement" शुरू किया गया है, जिसमें NCPRI (नेशनल कम्पैन 4 peoples राइट टु इन्फोर्मेशन), CHRI (कॉमनवेल्थ Human Right Initiative), सतर्क नागरिक जैसे संगठनों ने विरोध दर्शाया है।

इस विरोध के बाद बिल → Standing Comittee (5th Sept.) को सौंपा गया ⇒ समिति ने फिर C.S. व नागरिकों से राय माँगी है।

निष्कर्ष :- यह बिल संसद में पारित होगा या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है, But सामान्य जनभावनाएँ इस संशोधन के खिलाफ है। अतः सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार हाल ही में अपराधी सांसदों के अध्यादेश के मामले में समझदारी - संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इसी प्रकार का निर्णय वे RTI संशोधन के संदर्भ में भी ले।

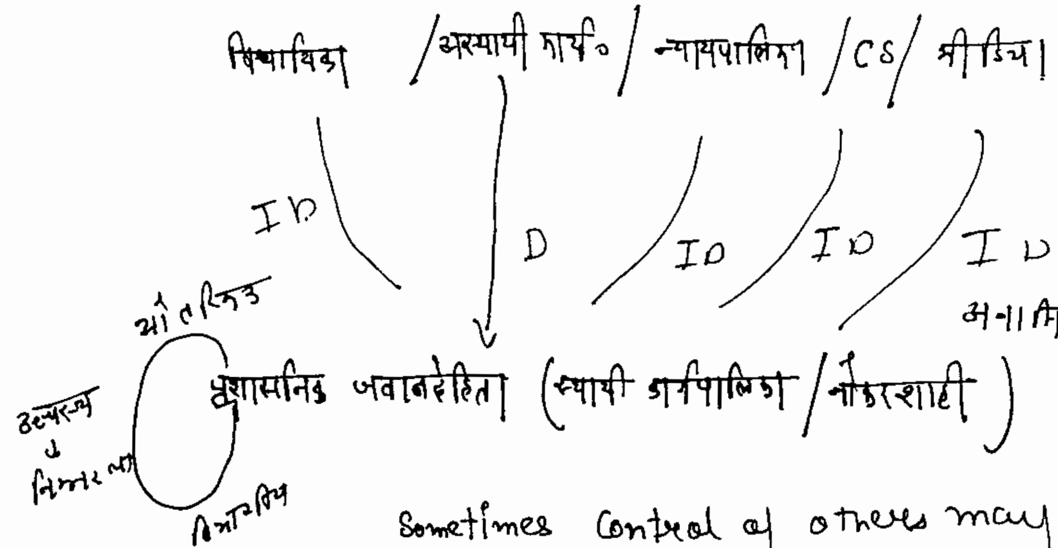

Sometimes control of others may be direct.

Qus:- A/C की संकल्पना एक व्यापक संकल्पना है, जिसे प्रशासन में आंतरिक-बाह्य, I-Id कई रूपों में देखा जा सकता है।

Qus A/C व पारदर्शिता एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, इनके बीच का संबंध अण्डे व मुर्गी का संबंध है।

Qus:- प्रशासनिक A/C को लागू करने हेतु उपलब्ध विधायी उपकरण निरंतर कमजोर हो रहे हैं।

Qus:- J. सक्रियता ने प्रशासनिक A/C को बढ़ाया है, लेकिन उसमें बाधा भी पहुंचाई है।

Qus:- C.S. व मीडिया भविष्य में प्रशा० A/C को सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी उपकरण साबित होंगे।

Qus:- RTI प्रभावी रूप से न लागू हो पाने के पीछे राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव है। हाल की घटनाओं के आलोक में इसे स्पष्ट कीजिए।

CCI
न्यायपालिका
विवाद
— P.P.

Qus:- RTI Act, 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, और इसने भारत में सुशासन को लाने में कितनी सहायता की है?

सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणापत्र) → अधिकार पत्र
- → दर्शन / संकल्पना
- → तत्व / कारक
- → निर्माण प्रक्रिया / Road Map / चरण
- → विकास (ऐतिहासिक) → विदेशों, भारत
- → आदर्श C.C. के क्या गुण
- → मूल्यांकन → (+)ve, (−)ve
- → भारत में उदाहरण (Case study)

C.C. प्रदाता व Consumer के बीच
- → क्या सेवा
- → गुणवत्ता
- → समयबद्धता
- → मूल्य

} का उल्लेख

(1) सेवा

ग्राहकों के प्रति Commitment

CC एक नैतिक वादा, जिसमें उल्लेख

→ (2) प्रदान न करने की दशा में शिकायत निवारण तंत्र

when नैतिक → no कानूनी व्यवहार ∴ बिल (2011)

aims – सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- → Convence
- → positive perception उत्पन्न करना
- → NPM

1) 2010 → M.P → लोक सेवा गारन्टी

2) बिहार

लोकसेवा गारन्टी ⇒ C C + कानूनी दर्जा

बिल के तत्व: → 50,000 तक की पैनल्टी → सरकार, → शिकायतकर्ता

→ GRO → शिकायत → SGRC → CGRC

महात्मा गाँधी ने कहा था, "कि शासन के दरवाजे पर आया प्रत्येक आगंतुक ग्राहक के समान होता है। वह शासन पर निर्भर नहीं है, बल्कि शासन उस पर निर्भर है। वह शासन हेतु बाह्य नहीं है, बल्कि शासकीय कार्यों का आधार है, और उससे जुड़कर हम उस पर अहसान नहीं, बल्कि वह हम पर अहसान करता है।" गाँधी के उपरोक्त कथन नागरिक-शासन संबंधों को नई दिशा देते हैं। और यह स्पष्ट करते हैं, कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य का दर्शन नियामकीय से कल्याणकारी हुआ है। गाँ० के इन कथनों का मूलभाव C.C. की संकल्पना का आधार है।

CC की अवधारणा यह प्रस्तावित करती है, कि सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के प्रति अपनी जवाबदेहिता को स्पष्ट करने हेतु प्रतिबद्धताओं की एक सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसमें वे सेवाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता का उल्लेख करें, और उपलब्ध ना करवा पाने की स्थिति में शिकायत निवारण तंत्र की व्याख्या करें।

आधारभूत घटक :- C.C. के तहत मूल रूप से निम्न छः तत्वों का उल्लेख किया जाता है —

(1) "विजन एण्ड मिशन" डॉक्यूमेंट ⇒
  (क्या सोच) (क्या करना चाहते हैं)
(2) संस्था से जुड़े कार्य की स्पष्ट व्याख्या (व्यापक)
(3) संस्था से जुड़े ग्राहक समूह का उल्लेख
(4) कौन-कौन सी सेवा देगी
(5) शिकायत निवारण तंत्र एवं प्रक्रिया का उल्लेख
(6) ग्राहकों की अपेक्षाओं का उल्लेख

प्रक्रिया / Road Map / चरण :-

I) कार्यदल का गठन

II) सेवाओं की पहचान

III) ग्राहकों की पहचान

IV) व्यापक परामर्श

V) ड्राफ्ट बनाकर उसे जन प्रतिक्रिया हेतु प्रेषित करना।

VI) कार्यबल द्वारा चार्टर को जारी करना।

VII) मंत्रालय / विभाग द्वारा चार्टर (by कार्यबल) में जरूरी होने पर बदलाव

VIII) मंत्रा० स्वीकृति के बाद एक प्रति प्रशा० सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को देना व जन प्रतिनिधियों तक भी चार्टर की प्रति पहुँचाना।

IX) मंत्रालय वेबसाइट पर चार्टर जारी करना

X) चा० के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी की नियुक्ति करना।

आदर्श CC में क्या गुण :-

(1) सरल & बोधगम्य

(2) सहभागी निर्माण

(3) क्रियान्वयन हेतु सहयोगी प्रशासनिक वातावरण

(4) सेवाओं की संख्या, गुणवत्ता (मानक) व समयबद्धता का उल्लेख

(5) प्रक्रियागत स्पष्टता → सेवा प्राप्ति के संदर्भ में

(6) सेवा के संदर्भ में व्यय / मूल्य की स्पष्टता होनी चाहिए (over all review)

(7) निश्चित समयावधि के पश्चात् पुनर्विलोकन → कर उसे अद्यतन (contemporary) बनाये रखना।

(8) अपेक्षाओं की आवश्यकतानुसार C. में समय-2 बदलाव

(9) नैतिक / विधिक बाध्यताओं का उल्लेख

विकास :- C.C. की संकल्पना ब्रिटेन की देन → 70 के दशक में मार्गरेट थैचर के सरकार पुनर्निर्माण Move. के तहत इसे प्रशासनिक A/C के यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर 1988 में "Next Step Programme" के अंतर्गत इस संकल्पना को विकसित किया गया। 1991 में जॉन मेजर ने CC की संकल्पना को व्यवस्थित रूप देते हुए National Prog. for CC की घोषणा की। और CC के 6 आधारभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया —

1. Quality (गुणवत्ता) – Govt. सेवा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए
2. मानक (Standard) → जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तय हो।
3. विकल्प (Choice) :- जनता के पास पर्याप्त चुनाव की स्वतंत्रता हो।
4. मूल्य (Price) :- करदाताओं के धन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए।
5. उत्तरदायित्व (responsibility) :- अध. कारक + संगठन दोनों के प्रति होनी चाहिए
6. पारदर्शिता (Transparency) :- नियमों, प्रक्रियाओं व योजनाओं में खुलापन होना चाहिए।

इसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर 90 के दशक में अन्य यूरोपिय C. ने भी C.C लागू किया। इसके अलावा कनाडा, आस्ट्रे, मलेशिया के C.C विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। ब्रिटेन ने 1993 में "चार्टर मार्क" के नाम से एक योजना भी लायी जिसमें विभागीय C.C का मूल्यांकन 9 बिंदुओं पर किया जाता था। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें "चार्टर मार्क पुरस्कार" दिया जाता था। → 1998 में (NPCC) जब लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने C.C. योजना को "सर्विस फर्स्ट प्रोग्राम" के नाम से पुनः

प्रस्तुत किया, और 9 सिद्धांतों का उल्लेख किया।

(1) सेवाओं के सुनिश्चित मानक

(2) परामर्श व सम्मेलन → (जनता को साथ लाना)

(3) पूर्ण खुलापन व सूचना उपलब्धता

(4) जनता की पहुँच व विकल्प को प्रोत्साहन

(5) निष्पक्ष व समतामूलक व्यवहार

(6) सुधारात्मक अभिवृत्ति
→ (गलत चीजों को सही करना)

(7) नवाचार व उन्नयन

(8) संसाधनों का प्रभावी उपयोग

(9) अन्य प्रदाताओं के साथ सहकारिता से कार्य करना

भारत में C. C : 1996 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी S. के मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें "कारगर एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेण्डा" (Agenda 4 effective & A/c Adm.) ~~.....~~ विषय पर चर्चा की गई। तथा सम्मेलन के अंत में यह सिफारिश की गई, कि सभी लोक संगठनों हेतु C.C लाने के प्रयास किये जाये। 1997 में CM's सम्मेलन में इस संदर्भ में कार्य योजना बनी व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी। जिसे चिन्हित मंत्रालयों या विभागों में C. C. ~~...~~ निर्माण की निगरानी करनी थी। वर्ष 2000 में प्रशा० सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने (AR & PG Dep.) कन्सेप्ट नोट on CC जारी किया। जिसमें आदर्श CC के आवश्यक सिद्धांत बताये गये। (same as आदर्श C. C.) इन सिद्धांतों

के आधार पर भारत की अधिकांश सार्वजनिक संस्थाओं ने अपने-2 C.C ना सिर्फ जारी किये, बल्कि उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया। तथा जनअपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें प्रस्तुत किया गया।

मूल्यांकन → AR & PG Dept ने 2002-03 → मिजि स्कोंसिफि
व 2008-05 - IIPA
विभागीय CC का मूल्यांकन करवाया गया।
(Indian Insti of Public Adm.)

उनमें निम्नलिखित कमियाँ दर्शायी गयी।

(1) अधिकांश C.C सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किये है, महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव

(2) Max C.C का निर्माण पारदर्शी व परामर्शी प्रक्रिया से नहीं

(3) CC में नवोन्मयन (Inovation) & अद्यतन जानकारियों की कमी दिखायी देती है।

(4) CC को समयबद्ध रूप से review या मूल्यांकन नहीं किया जाता।

(5) जन जागरूकता व इस संदर्भ में तैयार भी नहीं किये गये है।

(6) संगठनों की रूचि इसे लाने में नहीं है, इसलिए इन्हें कई मंत्रा० या विभागों में अभी तक नहीं लाया गया है।

प्रभावी बनाने के उपाय :-

(1) आदर्श C.C. संहिता का पालन किया जाये।

(2) चार्टर बनाते समय ~~R&D~~ शोध व अनुसंधान पर विशेष बल दिया दिया जाये

(3) C निर्माण प्रक्रिया को परामर्शी व पारदर्शी बनाने हेतु C.S. व मीडिया की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाये।

(4) C.C. को समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन से जोड़ा जाए।

(5) जन प्रतिक्रियाओं के आधार पर CC में सुधार या परिवर्तन लाये जाये।

(6) CC की सफलता को दर्शाने वाले उदाहरणों से प्रेरणा ली जाये, जैसे- (1) RTO हैदराबाद → (RTO की जारी सर्विस से संबंधित चार्टर बनाया + क्रियान्वयन)

(2) जनसेवा केन्द्र, अहमदाबाद / वडोदरा
(JSC)
(जनता से जुड़ी तुरन्त सेवाओं से संबंधित C.C को JSC के माध्यम से प्रोत्साहन)

(3) सेवोत्तम (SEVOTTAM) मॉडल ↓ — सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार से जुड़ा ~~Service deli~~ मॉडल है।

⇒ तीन element —
- CC
- Public शिकायत निवारण
- DS (सेवा आपूर्ति क्षमता)

घटक	चुनौतियाँ (9)	मूल्यांकन (33)
CC	at 3 level → क्रियान्वयन, निगरानी, समीक्षा	5 अंक मूल्यांकन
PGR	प्राप्ति, उपचार, रोकथाम	
DS	ग्राहकता, कर्मचारी, आधा॰ संरचना	

भारत में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने का नया मॉडल

(7) C.C को नैतिक से कानूनी/वैधानिक दर्जा दिया। और लोक सेवाओं को
(जैसे लोक सेवा गारण्टी)

जनता को कानूनी अधिकार बनाकर प्रदान किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में केन्द्र व राज्य सरकार ने कई प्रयास किये हैं।

⇒ लोक सेवा गारन्टी :

~~संकल्पना~~ ~~C.C.~~

लोक सेवा गारन्टी की संकल्पना CC को वैधानिक रूप देने से जुड़ी है, एक जवाबदेह प्रशा० हेतु यह आवश्यक है, कि वे ना सिर्फ जनता के प्रति अपनी नैतिक बाध्यताओं को स्पष्ट करे, अपितु उन्हें वैधानिक रूप से भी स्वीकार करे। ~~C.S~~ लोक सेवाओं का कानूनी अधिकार जनता को यह अवसर प्रदान करता है, कि वे लोकसेवाओं की ~~अ~~ अपेक्षाओं को लिखित रूप में हस्तगत करे व लोक सेवकों को लिखित रूप से दण्डित कर सके।

भारत में लोकसेवा गारण्टी कानून बनाने वाला 1^{st} S. M.P. था, जिसने Aug. 2010 में सरकारी सेवाओं की विधिक बाध्यताओं को स्वीकार किया, तत्पश्चात् बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, राज०, उत्तराख०, जैसे कई राज्यों ने इस कानून को लागू किया। इन कानूनों में निम्न० बातों को समान रूप से देखा गया।

(1) गारन्टी सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख
(2) उन सेवाओं का स्पष्ट प्रकाशन ~~परिभाषा किया ग~~।
(3) शिकायत निवारण अधिकारी के कार्य व शक्तियों का उल्लेख।
(4) दण्डित प्रावधानों का उल्लेख

केन्द्र सरकार ने भी वर्ष 2011 में -
Right of citizen 4 time bound delievery of Goods & services & redressal of their Greivences, 2011

(समयबद्ध वस्तु व सेवा को प्राप्त करने का जनता का अधिकार एवं उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक) लोकसभा में प्रस्तुत
(सिटीजन चार्टर बिल)

किया गया। इस बिल के द्वारा C. सरकार ने लोक सेवा गारन्टी को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु कुछ प्राव० किये हैं, जैसे –

(1) सेवा शब्द की व्याख्या कर वस्तुओं व सेवाओं का उल्लेख।

(2) पब्लिक ऑथॉरिटी (सार्व० इकाई) के अंतर्गत किसे शामिल किया जायेगा, का उल्लेख।

(3) कानून पारित होने के 6 मास के अंदर सभी Public Author. पर C.C. जारी करने की बाध्यता।

(4) सभी लोक अधिकारियों को CC से संबंधित सूचना केन्द्र एवं
(Public - officials)
जन सुविधा केन्द्र (Information & facilitation centres) स्थापित करने की बाध्यता।

(5) ~~C-S-D- तहसील~~ लोक सेवाओं से जुड़े सभी स्तरों (C — Local) पर कानून लागू होने के 6 मास के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति (GRO)

(6) GRO से अपीलीय सत्ता → डेजिगनेटेड (3०दिन) ऑथोरिटी (D.A)
↳ से अपील एक निर्धारित प्राधिकारी को की जायेगी, तत्पश्चात् S एवं C स्तर पर SGRC व CGRC (जन शिकायत निवारण आयोग)
(SPGRC) (CPGRC) (60days)

(जांच of public officers)

इसके ऊपर अपील लोकायुक्त / लोकपाल स्तर पर भी जा सकती है।

(7) दण्ड के रूप में अपीलीय प्राधिकारी या आयोग 50,000 ₹ तक की पेनल्टी लगा सकते हैं, जिसका एक हिस्सा अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

(8) अपीलीय अधिकारी को यह विश्वास होने पर ~~कि~~ मामला भ्रष्टाचार

का है, तो वे इसे भ्रष्टाचार से मुक्त संस्था बना सकते है।

Current Situation → पेंडिंग/लंबित अवस्था मे हैं, यदि वर्तमान सरकार द्वारा इसे पारित करवा लिया जाता है, तो जवाबदेही व अनुक्रियाशील प्रशासन की दिशा में यह एक (+)ve कदम होगा।

<u>Thus</u> जवाबदेह एवं लोकप्रिय शासन हेतु C. C जरूरी है।

E-Gov^{nce} – अनुप्रयोग, मॉडल, चुनौतियाँ

- → Concept / अर्थ / परिभाषा
- → Objective / उद्देश्य / आवश्यकता
- → आधार तत्व / स्तंभ
- → मॉडल
  - → G-C (सिटीजन) → E.g. Ex. → Medicine
  - → G-B
  - → G-G
  - → G-E → (employee) → E-पैरोल

- → तकनीकें (मॉडल)
- → चुनौतियाँ (challanges)
- → उपलब्धियाँ
  - → सैद्धांतिक
  - → व्यावहारिक → E-Gov^n Project
- → भविष्य की रणनीति (सुधार)

E-G → ICT + Gov^{nce}

शासन के विभिन्न घटकों का ICT से जुड़ा होना
(सरकार ⟷ सरकार
सरकार ⟷ C)

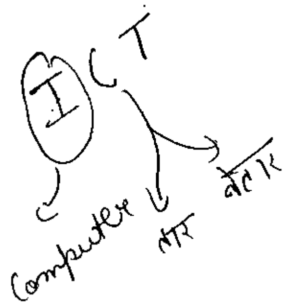

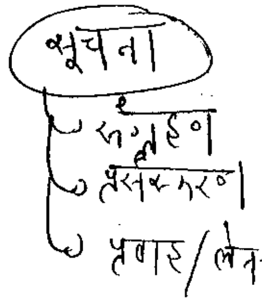

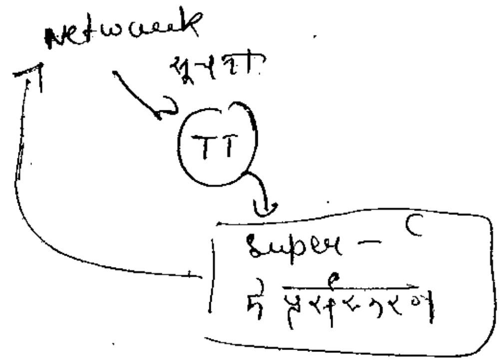

e-G → Smart / Tape / GG / 3E / 4P

for E-G → सूचना
→ अर्थः संरचना
→ गतिकि
→ नागरिक

4P → Purpose
→ process
→ Place
→ persons

ई-G. की संकल्पना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सरकार व जनता के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित करने से जुड़ी है, यहाँ ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन का द्योतक है जो Smart Govt. के लक्ष्य की ओर अभिमुख है।

W.B. द्वारा E-G. को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना और संचार तकनीक के प्रयोगों का सूचक है। जो नागरिक बाजार एवं सरकार के अंतर्सम्बंधों को पुनः रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि E-Gov. को 4 अंतर्क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। (1) सरकार - नागरिक अंतर्क्रिया (2) G - बिजनस अंत० (3) G - G (Govt.) अंत० (4) G - E (employee) Int.

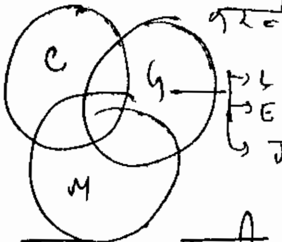

(Note → जब यह One way अंत० है, like G → C E B G shows E-Govt.

→ If two way / G ⟷ G there द्विपक्षीय / Bi-lateral E-Gov^nce

diff b/w good Govt. & good Gov.

नैतिकतानंतर / अधिनैतिकता

Ministry & Depar
E-Gov
- सूचना का अधिकार
- Public Service
Ethics & value
o— सांविधिक - विधिक - अर्द्धन्यायिक निकाय

E-Govt. & E-Gov.

E-Govt.	E-Gov.
संस्था का द्योतक	प्रक्रिया का द्योतक
आधारसंरचना ज्यादा महत्व	यहाँ क्रियात्मकता more imp
भूमिका निर्धारित (Role defination)	Role play (भूमिका निर्वहन)
नियम ज्यादा प्रभावी	उद्देश्य ज्यादा प्रभावी
क्रियान्वयन	समन्वयन
may be (+)ve/(-)ve	always good
theory में कल्याण	व्यवहारिक स्तर कल्याण

आवश्यकता/उद्देश्य :

(1) सूचना समाज की स्थापना हेतु (सूचित समाज => सशक्त समाज)

(2) प्रशासनिक दूरी कम करने हेतु

(3) सहभागी प्रशासन के विकास हेतु (विभिन्न योजनाओं पर फीडबैक) — योजना आयोग का पोर्टल

(4) प्रशासनिक पारदर्शिता को लाने हेतु :-

(5) प्रशासनिक A/c

(6) Better delivery of services → सरकारी सेवा / → नागरिक सेवा (Adm at ur door)

(7) सरकारी प्रक्रिया के समय को घटाने हेतु
→ online interaction ∴ लालफीताशाही ↓ => ∴ कार्य समय ↓

(8) प्रशा० का सरकारी व्यय को कम करने हेतु :- (Initially ज्यादा → दीर्घकाल ↓)

↳ record Keeping

Transportation | व्यय ↓

(9) सरकार की वैज्ञानिकता की स्थापना हेतु :-

↳ ई-matter → पर no doctor → Brilliant ?

(10) I-E / Smart / TAPE / G.G

(11) सरकारी कार्यप्रक्रिया के सरलीकरण Anticipatory

using virtual reality

Artificial Intelligence :-

↳ प्रशासन में स्वचालन

↳ Smart office

↳ मानव की अधिकता कम

Over staffing से छुटकारा

computer simulation → किसी प्रयोग को computer पर करना ↳ प्रभाव की जानकारी प्राप्त

AI का बड़ा रूप Robotics

ऐसी कोई भी मशीन जो मस्तिष्क को use कर रही है।

ई-G के आधार तत्व :-

(1) प्रक्रिया (Process) :- सरल, सतत, दक्ष, लागत प्रभावी

(2) व्यक्ति (Person) :- दूरदर्शी, प्रतिबद्ध, सामर्थ्यवान (Compatible)

Change oriented

(3) तकनीक (Tech) :- ढाँचागत सुदृढ़ता, विश्वसनीय, सुरक्षित, लचीलापन (विस्तार योग्य) ↳ (निरन्तर बदलाव किये जा सके)

(4) संसाधन (Res.) :- पर्याप्तता, सततता, संपूर्णता, दक्षता

↳ (लागत कितनी प्राप्ति ??)

अंतःक्रियाएँ :-

(अंतरराष्ट्रीय के केन्द्र) E-G. में अंतर्क्रियाएँ / E.-G. के मूलभूत प्रतिमान

G → C
- E-सिटीजनशिप (आधार कार्ड, वोटर)
- E-~~transportation~~ Registration
- E-Transport/Ticketing
- E-eduⁿ ⇒ (दूरस्थ शिक्षा)
- E-Health (
- E-Taxation
- E-Help → (किसान कॉल सेंटर, डिजास्टर मैनेजमेंट) मौसम पूर्वानुमान
- E-Commerce

जनता सरकार से (G ← C)
- E-Democracy
- E-feedback ⇒ (जनता के कार्यों की प्रतिक्रिया)

G to G
- E-Admⁿ (local govt to राज्य/office आदि)
- E-Policing
- E-Courts ⇒ (HC/SC अभिलेख आयोग) ED, रिपोर्ट भेजना आदि

G to B
- E-Tendering
- E-Licencing
- E-Taxation

G to E
- E-Payroll
- E-(online form) रिक्रूटमेंट
- E-ट्रेनिंग
- E-रिकॉर्ड्स
- IHRDS (Integrated Human Resource System) कर्मचारियों का data base Manage

E-Govⁿᶜᵉ का मनुप्रयोग
- राजनीतिक
  - e-democracy
  - राजनीतिक दलों के विचार
  - आधार कार्ड
- प्रशासनिक
- आर्थिक
  - E-taxⁿ
  - E-Tend.
- सामाजिक
  - प्रशासनिक सुधार के IT का use
- DSS (Decision support sys.)
- MIS (Management Information system)
- MBO

E-policing → आपसी connectivity (पुलिस के IT का प्रयोग)

तकनीक (प्रतिमान) :-
→ गवर्नेंस को प्रस्तुत करने / लागू करने का प्रतिमान

1) ब्रॉडकास्टिंग मॉडल
2) क्रिटिकल फ्लो
(चरम प्रवाह)
3) Compeerative analysis
(तुलनात्मक विश्लेषण)
4) E-Advocacy प्रतिमान
(ई-सलाहकारी प्रति०)
5) अंतःक्रियात्मक सेवा प्रतिमान

1) ब्रॉडकास्टिंग ~~मॉडल~~ :- ये सरकारी सूचनाओं के अधिकतम प्रसारण की वकालत करता है। इसके अनुसार ई-G. में केन्द्र बिन्दु सरकारी सूचनाओं का अधिकतम प्रकटीकरण व प्रस्तुतिकरण होना चाहिए क्योंकि सूचित समाज ही सशक्त समाज के रूप में ई-G का लाभ उठा सकता है।

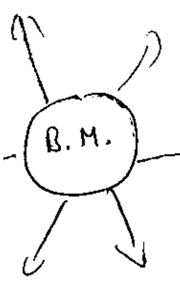

सूचना तन्त्र

2) क्रिटिकल मॉडल :- C.M (Govt) ⟶ Target Group
इसमें सरकारी सूचनाओं को लक्ष्य समूह को केन्द्रित कर प्रकाशित किया जाता है, ताकि सूचनाओं का बिखराव ना हो, और ई-प्रशासन विशेषज्ञ बने।

3) तुलनात्मक विश्लेषण EG1 EG2 EG3 -- EGn → Ideal E-Gov

~~सभी~~ ई-~~शासन~~G से जुड़े विभिन्न प्रतिमानों का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ~~कि~~ कि वे विभिन्न प्रणालियों की आदर्श बातों को एक साथ

लाकर ई-G के अनुकूलतम प्रतिमानों को विकसित कर सके।

ई-एडवोकेसी प्रतिमान है— इस प्र० में ई-G की विशेषताओं को जन प्रतिक्रियाओं व जन चिंताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। परिणामस्वरूप प्र० विस्तृत, विविधीकृत एवं जटिल प्रतीत होता है।

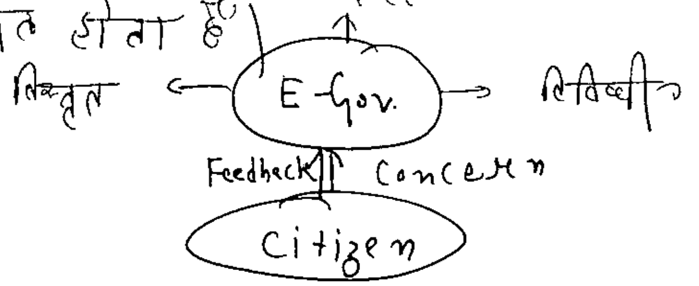

अंतर्क्रियात्मक सेवा मॉडल है— इसके अंतर्गत ई-G के मामलों में अधिकाधिक जन सहभागिता को लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि प्रशासनिक निर्णयन प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

G ई-फैसिलिटेशन Centre
में जनता को शामिल

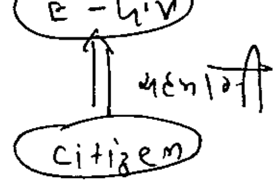

ई-G से जुड़ी चुनौतियाँ है →

(1) ई-Govt. व ई-G. के बीच की दूरी को पाटना।

(2) डिजिटल डिवाइड / भौतिक खाई को पाटना
(ई से परिचित व गैर परिचित)
IT साक्षर IT निरक्षर

(3) अवसंरचनात्मक विस्तार की सीमाएँ है
- IT के साधनों को ग्रास रूट स्तर तक उपलब्ध करवाना
- NOFN

(4) ई-साक्षरता का विस्तार → Employee, Citizen

(5) legal barriers है— हमारे कानूनों को ई-गवर्नेंस के अनुरूप बदलना उदा है— It Act, 2000, RTI 2005 इत्यादि में बदलाव लाना होगा।

(6) अंतर्विभागीय समन्वय

(7) Inter सरकारी समन्वय Local ↔ State ↔ Centre

(8) language barrier → (C-Dec →
↳ लोकल लैंग्वेज की तकनीकी में बढ़ावा)

(9) Geographical barrier ↳
↳ भौगोलिक विस्तार + विविधता ↑ ⟹ ई-G चुनौतियां ↑

सुधार/भविष्य हेतु E-G की रणनीति

1) शोध-अनुसंधान के माध्यम से तकनीकी ई-G अधःसंरचना/तकनीकी का निर्माण

2) आर्थिक अधःसंरचना – (PPP का आधार)

3) वैधानिक अधःसंरचना –
↳ पुराने में संशोधन
↳ नए कानून ई-G के अनुसार

4) न्यायिक " –
↳ कानूनों को अद्यतन
↳ न्यायाधीशों की IT ट्रेनिंग

5) सामाजिक सहयोग —
↳ IT का स्वीकरण/साक्षरता. (Ex- ई-चौपाल)
IT से भय मिटाना
↳ + पूर्वाग्रह दूर करने की जरूरत है

(6) ई-G. परियोजनाओं को सरल व बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाए – KISS (Keep it small & simple)

(7) मानकीकरण :- ई-G. से जुड़ी तकनीकों, सुरक्षा मानकों, गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में राष्ट्रव्यापी मानक तैयार किये जायेंगे।

(8) E-Govnce support
→ Political
→ Adm.
→ Fin
→ Social
→ Legal
→ Tech

E-Gov. in India

(I) संस्थागत सुधार — संरचनात्मक — वैधानिक

- 1970 में Dept. of Electronics की स्थापना।
- 1977 में National Informatic Centre की स्थापना।
- 1987 में NIC द्वारा NICNET (National Informatic Centre) को लाया गया, जो सभी प्रशासनिक मुख्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, इस पर आधारित कार्यक्रम को DISNIC (Distic Informational System of NIC) प्रोग्राम
- 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय कार्यबल बनाया गया, जिसने E-Literacy के विस्तार की सिफारिश की।
- 1999 में यूनियन मिनिस्ट्री of IT का मंत्रालय बनाया गया।
- 2000 → "12 point minimum agenda" के नाम से सभी केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में E-G को लाने का प्रयास किया गया।
- 2000 में National Insti. of Smart govt हैदराबाद में स्थापित किया गया।
- 2006 में (Imp) National E-G. Project को लागू किया गया। जिसके तहत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट व 8 समर्थक घटकों की बात कही गयी। (now - 34)

N. G.o.P.

- 27 (पुलिस, कृषि, भूमि रिकॉर्ड)
  - केंद्र (9) सेवाओं — Ex - UID, पासपोर्ट, Income Tax
  - राज्य/स्थानीय सरकार के ... (11)
  - एकीकृत सेवाएं (7) — E-Procurement, E-अदालत
- 8 समर्थक घटक (Common Service Centre)
  - मूल नीतियाँ
  - अवसंरचना (SWAN)
  - समर्थन अवसंरचना
  - तकनीकी सहायता
  - मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण
  - संगठनात्मक
  - जागरूकता व ...

(II) आधारः संरचनात्मक :-

(1) 2005 में IT विभाग द्वारा SWAN (State wide Area Network) योजना को लाया गया, जिसके माध्यम से ऊर्ध्वाधर लेवर व क्षैतिजिक स्तर (अंतविभागीय, अंतर्राज्यीय) पर नेटवर्क को प्रभावी बनाने हेतु तैयार किया गया।

NA ↑ SH ↑ DH ↓ RH

(2) डाटा केन्द्रों की स्थापना :-

सभी जिला स्तरों पर Data Collection Centre या जिला सूचना संग्रहण केन्द्र बनाये गये। फिर इन सूचनाओं को नेटवर्किंग के माध्यम से विभिन्न मुख्यालयों तक पहुँचाने को कार्य।

(3) NSDG (National Service Delivery Gateway) यह एक मल्टीमीडिया प्रोग्राम है जिसके द्वारा विभिन्न जिला डाटा केन्द्रों से सूचनाओं को एकत्रित कर आवश्यकतानुसार प्रसारित किया जाता है।

(4) CSC (Common Service Centre) :-

- 2006 से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख से अधिक इन्टरनेट Centre या जन SC बनाये गये हैं
- PPP मॉडल पर बने ये Centre Rural क्षेत्रों में प्रभावी नागरिक सेवाओं को प्रदान करने से जुड़े हैं।

(III) वैधानिक :-

- IT Act, 2000 (यथासंशोधित → 2008, 2013) के माध्यम से ई मार्केटिंग, ई-रिकॉर्ड कीपिंग, ई-सिग्नेचर etc. को मान्यता दी गई है ताकि ई-G में सुविधा हो
- Semi Condector Integrated layout design Act 2000 → ई G में प्राप्ति संवर्धन से ... था।

- RTI Act, 2005 बनाते समय ई-G की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।
- 2nd ARC ने अपनी पहली रिपोर्ट में इस कानून में ई-G से जुड़े सुधार करने की सिफारिश पेश की है)

(IV) Imp. e-G परियोजना :- (Case Study)

1) ई-सेवा परियोजना, आंध्रप्रदेश

2001 में हैदरा० - सिकन्दराबाद में नागरिक सुविधाओं को Online प्रदान करने से जुड़ी योजना थी। इसमें G to C अंतक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु 118 सेवाओं का चयन किया गया, जिसमें बिल पेमेन्ट, टैक्स पेमेन्ट, बर्थ-डेथ-मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसी आधारभूत सुविधायें थी। इसके लिए शहर में 36 ई-centre बनाये गये थे।

(2) भूमि परियोजना :- कर्नाटक राजस्व विभाग द्वारा वर्ष (2001) में लायी गयी इस परियोजना में सम्पूर्ण राज्य में land record computerisation को सम्पादित किया गया। इसके लिए भूमि नामक software का प्रयोग किया गया। इसमें land holding, holder, irrigation, crop की दशा, ऋण संबंधित दस्तावेज इत्यादि को computerise किया गया। इसी की सफलता से प्रेरित होकर केन्द्र सरकार ने भी राष्ट्रीय भूरिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण परि० शुरू की।

(3) ज्ञानदूत परियोजना :- (धार, M.P.) इस परि० को स्थानीय सरकार की सहायता से संचालित किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 80 इंटरनेट centre बनाये गये, जिन्हें सूचनालय कहा गया। ये नागरिक जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से संबंधित सूचनायें Rural pop को उपलब्ध कराते हैं एग → कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ... etc

(4) FRIENDS — केरल

(Fast Reliable Instant Efficient Network 4 Delivery of service)

(केरल) Disperse-ment

↳ इसी के तहत जिला मुख्यालयों में एकल खिड़की सेवा प्रणाली को लाया गया। जो विभिन्न वित्तीय सेवाओं को एक साथ प्रदान करने से जुड़ता था।

सिंगल विंडो है — नागरिक सुविधाओं को एक विंडो पर उपलब्ध

(5) लोकवाणी — UP, 2004 — इसमें P-P-P मॉडल से (सीतापुर जिला)

Single window delivery की बात कही गयी। इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवश्यकता से जुड़ी सेवाओं को user friendly तरीके से स्थानीय वातावरण के (जनमित्र) अनुरूप प्रदान करने की बात कही गयी।

(6) ई-मित्र — राजस्थान परियोजना

↳ जन मित्र + लोक मित्र परियोजना को जोड़ कर बनायी गयी। इस परि० के दो घटक थे

(1) बैक ऑफिस प्रोसेसिंग (BOP) में सभी शासकीय विभागों की जानकारियों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए ई-मित्र डाटा सेन्टर को प्रदान किया जाता था।

(2) सेवा काउन्टर

↳ सेवा C ई-मित्र डाटा centre ही थे

↳ जानकारियों को जनता तक पहुँचाते थे।

Paper IV

— निगमित प्रशासन (Corporate Gov....)

(I) CG → Public Admn → नौकरशाही संस्कृति से बाहर लाकर निजि क्षेत्र की उद्यमी संस्कृति से जोड़ा जाये।

CG ⇓ (Corporate pattern of Govnce)

बड़ी - बड़ी C. ⇒ Corporate

भारत मे कुछ ही मात्रा में यह व्यवस्था स्वीकार
↳ bcoz जब 90's मे N.P.M (उE)
Same as निगमित ⟸ Procur. → for; Contract → Regs

II) वास्तव मे C G कॉरपोरेट Govnce Reform का नाम है → वर्तमान में कॉरपोरेट घरानो के प्रशासन मे बड़ी खामियाँ
संकल्पना came at 1929 (E - depression)
अतः बड़ी बड़ी C. मे सुधार हो
यह CSR से जुड़ा हुआ है।
⇒ बड़ी C. का अपने प्रशासन में Reform
⇓
for this they have to link with
Trap ←
↳ share holder की भागीदारी ↑
↳ S.h. के प्रति जवाबदेह रहो

Gort
- आर्थिक कार्य (Infras ⇓ physica)
  - PPP ← Pvt sect
    - BOT
    - BOOT
    - BOLT
- सामाजिक infra
  - शिक्षा
  - स्वास्थय
  - पेयजल
  - पोषण

इन सामाजिक क्षेत्र में जिम्मेदारी ही ⇒ CSR

CSR का कायदा
→ ब्रांडिंग

कारपोरेशन
↳ संसद कानून
सरकार की 100%
निगम
कानून
सरकारी निदेशक
से बने
सरकारी प्रशासन
1956 की
धारा
सरकारी निदेशक
51%

51+

Corp. G.

संकल्पना है नवीन आ० सुधारों के युग में जब विश्व के अधिकांश C. पूंजीवाद को अपना रहे थे, और LPG जैसी नीतियाँ प्रभावी रूप से शासन मे लागू की जा रही थी, C-G की संकल्पना इस दौर में अत्यंत impo. बनकर उभरी

इस संकल्पना में कारपोरेशनों को जवाबदेह बनाने और सा० सरोकारों को जोड़ने का उद्देश्य निहित है। लेकिन कुछ विद्वान इसे लोक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरशाही संस्कृति को हटाकर निगमीकृत संस्कृति को लाने का प्रयास भी मानते हैं।

Pvt Ltd. → Public Ltd.

इसका आधार share holder की संख्या है

यदि 2-50 तक SH ⇒ Pvt

7 से असीमित ⇒ Pub Ltd

51% + ⇓ सरकारी

51% कम ⇓ निजी

संकल्पना का उदय है C.G. की प्रारंभिक चर्चा 1929 मे न्यूयार्क शेयर बाजार के पतन के बाद अमेरिका में प्रचलित हुई। जब बड़े औद्यो० घरानों के पतन के बाद उनका जनता के प्रति अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार सामने आया। 1932 में एडोल्फ बर्ले और गार्डनर मीन्स ने "The modern Cooperation (कारपोरेशन) & Private property" नामक ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिससे C-G की संकल्पना को व्यवस्थित आधार मिला। लेकिन अगले 50 years में इस संकल्पना को प्रभावी रूप नहीं दिया जा सका। II[nd] w.w. के बाद

MNC's ने बाजार आ० गतिविधियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगी, और जन निगरानी नियंत्रण व जवाबदेहिता से विमुक्त होने लगी, तो C-G की आवश्यकता को महसूस किया गया। 80 का दशक आते-आते सभी औद्यो० देशों में C-G की माँग जोर पकड़ने लगी और 1990 में ब्रिटेन में Cadbury समिति का गठन किया गया। जिसने C-G के विचार को लागू करने से संबंधित सिफारिशें दी, इन्हें आधार बनाकर OECD देशों ने C-G से जुड़े छः सिद्धांत प्रस्तुत किये।

(1) शेयर धारकों के अधिकारों का सिद्धांत (छोटे)
   ↳ चूंकि पैसा ∴ निर्णय में भूमिका)

(2) साझेदारों की भूमिका का सिद्धांत (बड़े)
   ↳ साझेदारी अनुपात के C. में भूमिका)

(3) समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत
   (Bd. of Director सभी शेयर H के साथ समान व्यवहार करे)

(4) प्रकटीकरण व पारदर्शिता का " कामकाज से जुड़ी सूचनाएं S H को उपलब्ध करा

(5) निदेशक मण्डल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत
   ↳ Board of D. की A/C तय हो

(6) सच्चरित्रता व नैतिक व्यवहार " "
   ↳ ethics & value की imp

निदेशक बोर्ड सिद्धांतों की सफलता growth

आंतरिक vs impress विदेश

C-G के इन आधारभूत सिद्धांतों से ही हम C-G प्रशा० संस्था० प्रशासन की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं।

भूमिका

(1) लक्ष्यों की विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट व्याख्या।

(2) Citizen Charter & शिका० निवारण तंत्रों के माध्यम से जनता के नजदीक जाने का प्रयास।

(3) प्रत्यायोजन व विकेन्द्रीकरण के द्वारा कार्यकरण को लचीला बनाने का प्रयास। (मैनेजमेंट (सूचना system)

(4) आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों जैसे MIS, DSS, PERT LP (लीनियर प्रोग्रामिंग)

दबावसमूह हित हेतु नीतियों पर दबाव

(5) शोध एवं सृजनात्मकता को बढ़ाता देकर मूल्य संवर्द्धन से जुड़ने का प्रयास करते हैं।

(6) विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों के द्वारा शेयर धारकों के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

(7) निगमित निकाय को 3-E के साथ (CSR के साथ भी जोड़ने का प्रयास करते हैं (ई) (पू)

(8) वर्तमान समय में आवश्यकता ~~में आवश्यकता~~ of Corporate Gov^nce

~~कारण~~, 1990 के बाद जब अधिकांश वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी दर्शन से जुड़ती हैं, तो C. घरानों का अभूतपूर्व विस्तार देखा जाता है। → (neo-capitalism, उन्नत पूंजीवाद) नव पूंजी० के इस दौर में Corpo. Gov. की आवश्यकता को निम्न कारणों से देख जोड़कर देखा गया —

(1) MNC's के एकाधिकार में वृद्धि → जवाबदेहिता ↓
(monopoly - बाजार)

(2) वैश्विक मंदी के दौर में बड़ी कंपनियों का पतन
(Ex- माइक्रोसॉफ्ट)

(3) बड़े कारपोरेट घरानों में उभरे विभिन्न घोटाले (सत्यम)

(4) C. घरानों के बीच आपसी प्रतिस्पर्द्धा व सरकार से भी प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोतरी।

(5) वैश्वीकरण के दौर में और I T के विकास के साथ लोक प्रशासन के समान निजि प्रशासन के भी वैश्विक मानकों की मांग।

(6) प्रशासनिक सुधारों का दबाव, जो लोक क्षेत्र पर है, अब उसकी दिशा निजि क्षेत्र की ओर मोड़ने की भी बात की जा रही है।

(7) → OECD के छः सिद्धांतों की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं। Ethical

भारत में C-G हेतु किये गये प्रयास व चुनौतियाँ

- राजनीतिक
- प्रशा० → लालफीताशाही
- आ० - resources → जागरूक + जवाबदेह
- सा० + संस्कृति
- वैधानिक → लूपहोल
- तकनीकी → सीमित

प्रयास:
- संस्थागत
- समितिगत प्रयास (समितियों की स्थापना के द्वारा)
- वैधानिक प्रयास

I) संस्थागत उपाय :-

(1) वर्ष 2003 में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रा० (CCAM) द्वारा नेशनल फाउंडेशन for C-G (NFCG) की स्थापना की, जो C-G के विषय पर थिंक टैंक की तरह कार्य करता है।
- Corporate leadership को प्रोत्साहित करता है
- निदेशकों हेतु अभिमुखी प्रशिक्षण (orientation training)

(2) 2008 CAMin ने IICA (Indian Insti of Corporate Affairs) की स्थापना की। यह एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, जो C-G से जुड़े शोध - अनुसंधान से जुड़ता है, और समग्र अध्ययन के द्वारा ~~द्वारा~~ KMS (Knowledge Management System) बनाता है।

(3) 2013 में SIFO (Serious fraud Investigation Organisation) (धोखाधड़ी)
→ यह गंभीर प्रकृति के C. घोटालों (विविधपूर्ण) की जाँच कर कंपनी Act 1956 तथा IPC के प्राव. के अनुरूप अभियोग दर्ज करवाता है।

II) समितिगत प्रयास :-

(1) CII (Confederation of Indian Industry) Code Committee, 1998 → कॉरपो० घरानों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता को प्रस्तुत किया।

(2) कुमार मंगलम बिड़ला समिति :- समझौता b/w शेयर & Gov

यह समिति सेबी ने स्थापित की थी, और इस समिति की सिफारिशों (आवश्यकारी Agree.) के आधार पर ही स्टॉक एक्सचेंज (सूची समझौता (List Contract)) के खण्ड - 49 को तैयार किया गया है। जो निगमित प्रशासन की उन प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है, जिनका अनुपालन सूचीबद्ध C. को अपने कार्यकरण के दौरान करना अनिवार्य है।

(3) **नरेश चन्द्रा कमि०, 2002** :→ इसे निगमित मंत्रालय ने बनाया था, इसमें कंपनियों की सराउटिंग - ऑडिटिंग व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रचालन (प्रबंधन) के विषय में अपनी सिफारिश की।

(4) **नारायण मूर्ति कमि०, 2003** :→ इसे सेबी० - 6 मानक सुधार एवं खण्ड - 49 की समीक्षा हेतु बनाया गया था।

(5) **जे० जे० ईरानी कमि०, 2005** :→ Company - Act में बदलाव की सिफारिश by डॉ० मेहता-
↳ जो वर्तमान आ० परिदृश्य में C. Act में बदलावों की सिफारिशों से जुड़ी है, ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। और निगमित प्रशासन को सुधारा जा सके।

when Company बनती है
↓
Document
MOA (Memorandum) — AOA (of Associa) Article
↳ C. का उद्देश्य + Rule
↳ पैसा यहां के लोगों का — चुनाव account +
Society बन जाती है
↓
no जवाबदेही

III) वैधानिक उपाय :→

1) C- Act, 1956 में संशोधन
2) Securiti Contract Regulation Act, 1956 में संशोधन (SCRA)
↳ जो व्यापार योग्य प्रतिभूतियों पर लागू
(3) 1992 से SEBI को कानूनी दर्जा और सेबी द्वारा किये गये सुधार जैसे डिपॉजिटरी Act के द्वारा विभौतिकीकरण (इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा) अर्थात् कागजी स्वरूप को ...

लेन देन को बढ़ावा।

(5) स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध समझौता के खण्ड - 49 में निगमित प्रशासन की प्रक्रियाओं का उल्लेख।

भारत में C-G को यथार्थ बनाने हेतु यह जरूरी है, कि हम इन सभी सुधारों को निरंतर बनाए रखें। और C-G पर दी गयी सेबी की इस परिभाषा को चरितार्थ करें —

"किसी निगम या कम्पनी द्वारा शेयर धारकों के अधिकारों को मान्यता देकर उन्हें सच्चा स्वामी स्वीकारना और स्वयं को उनके न्यासी या ट्रस्टी के रूप में स्थापित करना C-G है।"

ट्रस्टीशिप
↳ जितना जरूरी उतना रखो, बाकि समाज हित के दो

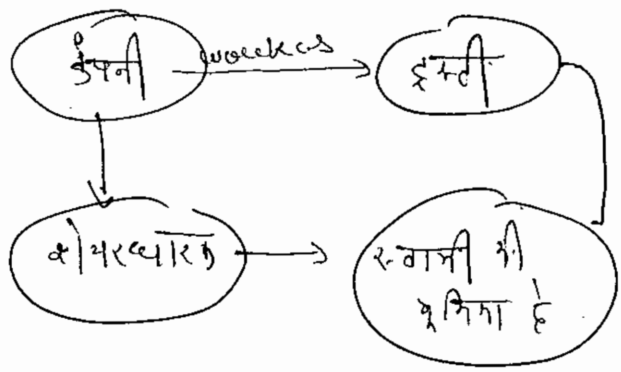

C — G

Civil Society की अवधारणा, दबाव समूह (Pressure group)
(नागरिक समाज)

औपचारिक संघ — अनौपचारिक संघ

शासन प्रणाली में भूमिका

(C.S.) I) Any thing, whic is non Govermental + नागरिकों से संबंद्ध है -

II) फैमिली एवं स्टेट के बीच के संगठनात्मक अंतर को भरने वाले संगठन

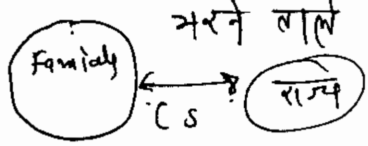

CS ⇒ नागरिकों की सरकार से Direct contact नहीं, सिन सेतु के माध्यम से सरकार तक पहुंच

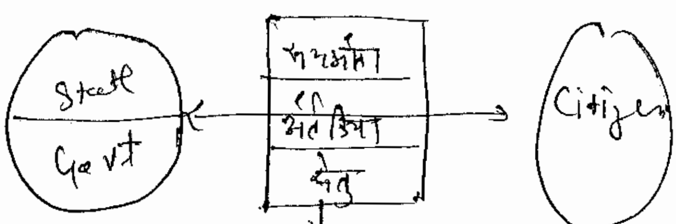

C.S. के Component

C.S.
- Political (राजनीतिक जुड़ाव) (NP)
- Non - Political (NP) (गैर राज० जुड़ाव)

C.S ↳ NGO, VO, CBO (Community Based org.)

↳ विशेष वर्ग आधारित → SC, ST, महिला
- जातीय — धर्म, जाति, भाषा
- व्यवसायिक — व्यापा०

PG, IG (Interest group) → No Pol

IPO (Indegenious personal org) → N.P.

↳ कुछ व्यक्तियों ने अपने लिए बनाये

(क्रिकेट क्लब

C.S. का विकास :

विचारधारक आधारित (लोकपाल) समूह —अभिव्यक्त→ (हित समूह) —सहकारी नीतियां / मार्केट हेतु दबाव→ P.G → PG + राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा

It may be NGO

→ राजनीतिक दल (AAP)

- सामान्यतः हर राजनीतिक दल का विकास उक्त प्रकार से

Role of C.S. →
- नीति निर्माण
- फीडबैक प्रदान
- जन अपेक्षाओं को imp

(C.S)
- → संकल्पना
- → विकास
- → विशेषताएँ
- → घटक
- → भूमिका
- → चुनौतियाँ
- → वर्तमान प्रवृत्ति (trend)

डेवलपमेंट ट्रिनिटी

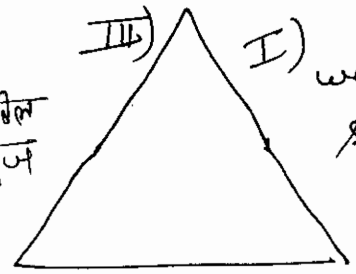

III) सिविल समाज (दोनों के साथ मिलकर कार्य)

I) welfare state
↳ विकास दायित्व सरकार का (करियां) ↓ Monopoly ↓ भ्रष्ट

II) Limited state
↳ विकास के निजि क्षेत्र की भूमिका
⇓
(-)ve ↳ सामाजिक संवेदनशीलता के अभाव के कारण
↳ main aim लाभार्जन

→ दोनों की कमी ⇓ ∴ C S

वर्तमान समय में विकास के त्रिविमीय सिद्धांत को मान्यता दी जा रही है, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया में लोक क्षेत्र और निजि क्षेत्र की सीमित सफलताओं के बाद नागरिक समाज की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है। C.S. को विकास के ट्रिनिटी मॉडल में तीसरे स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है।

और विचारों में इसकी इसके पृथक / स्वतंत्र भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में जब राज्य अपरिपक्व व सीमित आकार के थे, राज्य एवं नागरिक S० को अलग नहीं देखा जाता था, (L.E.T) लेकिन जैसे - जैसे परिपक्व कल्याणकारी एवं विस्तृत राज्यों का उदय हुआ, C.S की पृथक भूमिका दिखायी देने लगी। राज्य स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाना और राज्य व जनता के बीच की दूरी को घटाना CS के प्राथमिक aim थे।

CS को दार्शनिक आधार पर राज्य से पृथक करने का कार्य हीगल नामक विद्वान ने "फिलोसफी ऑफ राइट्स (अधिकार)" नामक रचना में प्रस्तुत किया। इसके बाद मार्क्स व एंजेल्स ने इस संकल्पना को विस्तार दिया। लेकिन CS को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय "एन्टोनियो ग्राम्शी" को दिया जाता है। इन्होंने CS को परिभाषित करते हुए उसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जैसे

(1) गैर सरकारी चरित्र :

(2) राज्य एवं परिवार के बीच की कड़ी

(3) सामूहिक हितों हेतु कार्यरत

(4) बहुलवाद के समर्थक (Pluralism) (5) तानाशाही / निरंकुशतावाद का आलोचक

(6) राज्यों से स्वायत्त, किन्तु राज्य नियमों - विनियमों से संचालित

(7) जनसशक्तीकरण हेतु प्रयासरत

(8) समाज में नैतिक मूल्य व्यवस्था की स्थापना हेतु

यद्यपि ~~C.S. मूल रूप से USA में, but India में भारत~~ वर्तमान में
विश्व के सभी लोकतांत्रिक C. में नागरिक समाज के अंग कार्यरत हैं।
भारत में C.S. का उदय स्वतंत्रोत्तर परिघटना है, हालांकि गांधी के रचनात्मक कार्यों से जुड़ी संस्थाएं और जे पी मूवमेन्ट के दौरान उभरी संस्थाओं को नागरिक S. से जोड़ा जाता है, लेकिन इस शब्द का स्पष्ट इस्तेमाल 1990 के दशक के बाद प्रसारित सुधार आंदोलनों से जुड़ा है (यथा - RTI मूवमेन्ट, लोकपाल Move., नर्मदा बचाओ Move (मेधा पाटकर))
इन M. ने CS शब्द को न केवल लोकप्रिय बल्कि स्थापित भी किया लेकिन फिर भी CS के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे — diff b/w W.C. & I. (good शासन हेतु का अभिन्न अंग)

(1) पश्चिमी C. की तुलना में भारत में CS जनाधार व नेतृत्व दोनों स्तरों पर अपरिपक्व है।

(2) USA में CS (+ve (सरकार की सहायक) दृष्टिकोण) से कार्य, जबकि India में anti state की प्रवृत्ति है।

(3) W.C. की तुलना में I. में C.S. के अंग अधिक अस्थिर व तात्कालिक हैं।

(4) भारत में CS नृजातिय आधारों पर अधिक केन्द्रित व कार्यरत हैं।

(5) भारतीय विद्वान राजेश टंडन ने भारत में C.S. के पाँच वर्ग बताये हैं,

(1) नृजातीय आधारित - जो जाति, भाषा, क्षेत्र आधार पर गठित होते हैं।

(2) धार्मिक आंदोलनों पर आधारित → रामकृष्ण, ब्रह्म समाज

(3) सामाजिक आंदो. से जुड़े → भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा के विरुद्ध

(4) वर्गीय सदस्यता पर आधारित → व्यावसायिक,

(5) मध्यवर्ती संगठन → यह may be social, eco
↳ (Intermediate Org.) Ex → Org, PETA,
राजीव गांधी फाउण्डेशन

NGO best reflective of CS

CS के विभिन्न अंग :– सामान्य रूप में CS के अंगों को निम्न वर्गों में बाँटा जाता है –

(1) NGO :– (श्रेष्ठ अभिव्यक्ति of CS)

(2) VO's (वॉलन्टरी Org.)

(3) समुदाय आधारित Org. → नृजातीय / → व्यवसायिक / → सामाजिक

(4) IG व PG

(5) स्वनिर्मित समूह (IPO)

भूमिका :– CS शासन के प्रजातांत्रिकरण और विकास अभिमुखन को सुनिश्चित करती है। रॉबर्ट पुटनेम नामक विद्वान ने 'Social Capital' नामक पुस्तक में CS को सामाजिक पूंजी निर्माण से जोड़ा है। और सुशासन को सुनिश्चित करने में इसकी विभिन्न भूमिकाओं को प्रस्तुत किया है – जैसे :–

(1) लोक नीति निर्माण में सरकार व नागरिकों के बीच मध्यस्थ के रूप में

(2) सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम के रूप में

(3) सामाजिक न्याय के संरक्षक के रूप में (HR)

(4) A/C & पारदर्शी बनाने में
(5) शासन की निगरानी कर्ता या वाच डॉग के रूप में
(6) शासन के मूल्यांकन कर्ता या प्रतिपुष्टि (feed back) के रूप में
(7) जनता के सूचना केन्द्र के रूप में
(8) समाज को व्यक्तिगत हितों से सामूहिक हितों की ओर ले जाने वाले यंत्र के रूप में
(9) शासन के विस्तारित यंत्र के रूप में सेवा प्रदाता की भूमिका (जहाँ Govt. सेवा उपलब्ध नहीं करा सकती वहाँ CS)
(10) नैतिक मूल्यों के सृजनकर्ता के रूप में

कमियाँ / Limitation of CS in India है

(1) वित्तीय सीमायें
(2) संगठन व नेतृत्व से जुड़ी सीमायें
(3) जातीय सृजन " " " => (संकीर्ण हित)
(4) राज्य विरोधी दृष्टिकोण " "
(5) अस्थिरता की सीमा
(6) P. ~~ए~~ हस्तक्षेप की सीमा
(7) प्रशासनिक असहयोग से जुड़ी सीमा (शांतिपूर्ण हड़ताल में बाधा)
(8) सामाजिक समर्थन से जुड़ी समस्यायें
(9) CS के अंगों में आंतरिक असमानतायें एवं अंर्तविरोध (आर्थिक स्तर पर अंतर)
(10) नागरिक/व्यक्ति सक्रियतावाद से CS की भूमिका गौण (overe shadow)

दबाव समूह (PG) एवं उनकी शासन प्रणाली में भूमिका

हित समूह	PG	
मनोवृत्ति — दायरा संकुचित (जमींदार एसो०)	→ दायरा विस्तृत → (बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी)	(bcoz they come in Public domain)
— निष्क्रिय	सक्रिय	
— बात को नरम रूप में प्रस्तुत (G-P)	⇒ more संघर्ष	
— व्यक्तिगत हित	सामूहिक हित	
— अप्रत्यक्ष शासन में भागीदारी	प्रत्यक्ष	

हित समूह → प्रभावी PG में नहीं बदल पाते
↳ bcoz they work in a very narrow way.

PG, CS के वे अंग हैं, जो विशिष्ट हितों के लिए शासन-प्रशासन पर दबाव डालकर लोकनीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हित समूहों का विस्तार या सक्रिय अंग कहा जा सकता है। हालांकि हित समूहों की तुलना में PG का दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। और शासन में PG की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष होती है।

PG की विस्तृत समझ हेतु PP (दल) से इनके अंतरों को समझना भी जरूरी है। सर्वप्रमुख अंतर तो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण और सक्रिय राजनीति से जुड़ाव के अंतर्गत दिखता है। इसके अलावा P.P. विधा० व कार्यपालिका में आंतरिक

भूमिका निभाते हैं, जबकि PG बाहर से दबाव डालने का काम करते हैं।

भूमिका :- किसी भी PG की कार्यक्षमता और प्रभाविता उसके नेतृत्व, संगठन, आ० व तकनीकी संसाधन, मीडिया प्रभाव जैसे कारकों से तय होती है। सामान्य तौर पर इनकी भूमिका को निम्न संदर्भ में देखा जा सकता है—

(०) विधायिका → राजनीतिक प्रक्रिया में → प्रतिनिधित्व पत्र

(1) राजनीतिक प्रक्रिया — (०) जनप्रतिनिधियों के चयन, और संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने में, मताधिकार हेतु जागरूकता फैलाने में, घोषणापत्र (चुनाव) को तैयार करवाने में

(2) कार्यपालिका :- सरकार के सृजन से लेकर उसकी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने ~~तक~~ PG की भूमिका को देखा जा सकता है।

(3) स्थायी ~~कार्यपालिका~~ / नौकरशाही :- (throw दबाव + गठजोड़)

→ नीतियों/कार्य० का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने हेतु

→ PG अपने हितों को सुनिश्चित करते हैं।

(4). ऑलीगार्ड नामक विद्वान ने PG की भूमिका को तीन शब्दों में प्रस्तुत किया है,

→ Appointing (→ लोक कार्य० में अपने पक्ष के लोगों की नियुक्ति

→ लॉबिंग → अपने हित की नीतियों हेतु दबाव

→ Propogating → प्रचार-व्यवस्था

जनतात्रक शापन का प्रचार प्रसार → जनता से Govt. पर दबाव डलवाना।

भारत में P.G. का स्वरूप :-

दबाव समूहों का जन्म from USA

ब्रिटिश भारत में All India Trade Union Congress प्रथम व्यवस्थित PG के रूप में दिखता है, इसके बाद किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों के संबंधित विभिन्न PG ब्रिटिश काल में ही दिखायी दिये, लेकिन इनका विस्तार व विविधीकरण स्वतंत्रोत्तर परिघटना है। वर्तमान में India के PG को निम्न 9 वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है :-

(1) व्यापारिक P.G. – ये औद्योगिक व वाणिज्यिक हितों पर आधारित हैं, जैसे CII, FICCI, एसोचैम etc.

(2) मजदूर समूह :- जो श्रमिक हितों हेतु कार्यरत हैं।
AITUC, INTUC, BMC, हिन्द मजदूर परिषद (HMP)

(3) खेतिहर समूह :- कृषक व कृषि मजदूरों के हितों हेतु कार्यरत
Ex → All India Kisan Sabha, भारतीय किसान यूनियन (BKU), रिवोल्यूशनरी Peasant Convention (RPC)

(4) धार्मिक संगठन :- धर्म विशेष के संवर्द्धन हेतु कार्यरत
Ex- विश्व हिन्दू परिषद, जमायत-ए-इस्लामी, ऑल इंडिया क्रिश्चन कमिटी, शिरोमणी गुरुद्वारा

प्रबंधक समिति।

(5) जातिय समूह :- हरिजन सेवक संघ, ब्राह्मण, क्षत्रिय - वैश्य महासभा

(6) भाषागत " :- तमिल संघ, नागरी प्रचारिणी सभा, आंध्र महा०

(7) छात्र संगठन :- छात्र हित हेतु कार्यरत
NSUI,

(8) आदिवासी :- झामुमो, पीपल लिबरेशन आर्मी (PLA)

(9) पेशेवर :- IAS एसो०, बार काउंसिल, मेडिकल एसो०

इनका स्वरूप समान इनकी चारित्रिक विशेषतायें एक जैसी हैं, -

(1) विशिष्ट हितों से जुड़ाव

(2) वैधानिक - गैर वैधानिक तरीकों से लोकनीति पर दबाव डालने का प्रयास

(3) राजनीतिक दलों से अंतर्संबंध

(4) इन सभी पर नृजातीय कारकों का प्रभाव

आलोचना / कमियां :-

(1) वृहत्तर हितों की बजाय संकुचित हितों से अधिक संचालित

(2) राजनीति से स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव
निष्पक्षता प्रभावित

(3) संगठन व नेतृत्व के स्तर पर अपरिपक्वता

(4) गैर-वैधानिक तरीकों का अधिक प्रयोग करते दिखते हैं
(तोड़-फोड़, बंद)

(5) इनका प्रभाव नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद जैसी समस्याओं पर दिखता है।

निष्कर्ष :- तमाम आलोचनाओं के बावजूद PG राज्य व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। एक लोकतांत्रिक s. में सलाह व सामूहिक सौदेबाजी के अवसर होने चाहिए और इसे PG द्वारा ही लाया जा सकता है। इसके अलावा भारत की क्षेत्रीय व जातीय विविधता [illegible]

जन प्रतिनिधित्व Act, 1951

- उद्देश्य
- प्रावधान :- 5 भाग (32 सेक्शन)
- संशोधन :- 1996/2009
- विवाद :- 2013 – ((लिली थॉमस मामला 8(4))
- चुनाव सुधार
  - Before 1996
  - After 1996

Othertopic :-

① चुनाव आयोग
- स्थापना / ~~संरचना~~
- स्वतंत्रता
- कार्य / शक्ति
- संरचना / संगठन
- सक्रियता
- सीमाएं सुधार

② Political Parties
- गठन
- दर्जा
- स्वरूप
- कार्य
- सीमाएं
- सुधार

③ भारत में चुनाव/निर्वाचन से जुड़ी समस्याएँ व सुधार
- संगठन
- राजनीतिक दल

- चुनाव प्रणाली (FPTP)
- चुनाव संचालन (धनबल / बाहुबल) → मशीनरी का Misuse
- भारतीय चुनाव में प्रतिनिधित्व की समस्या
  - मध्यवर्ग
  - बुद्धिजीवी वर्ग
  - महिला प्रति.

PRA → नामांकन की जाँच
- योग्यता / अयोग्यता
- Corrupt practice
- परिसीमन आयोग
- भाग 3 व 4 → प्राधिकारी → CEO → (राज्य) — नियुक्त by CEC
  - मदद हेतु observer
  - जिला स्तर पर DEO / RO
    - ↓ (RO की मदद हेतु) ARO
    - ↓ प्रीसाइडिंग officer (PO)
    - ↓ Poling officer — नियुक्त by RO
  - प्रतिनियुक्ति पर (Deputation)
- भाग - 5 → सिविल कोर्ट की शक्तियों के बारे
- नॉटिफिकेशन कैसे जारी
  - जारी होने के 7 दिन के अंदर नामांकन
    - 8 वे दिन जाँच
    - 9 वे दिन → नाम वापस लेने
- जमानती राशि
  - 1/6 ना होने पर जब्त
- विभिन्न अयोग्यताएँ

शुरू में ↓ एक सदस्यीय

भारतीय चुनाव आयोग ↓

1989 में → त्रिसदस्यीय
↓
61 संविधान
पुनः एक
↓
त्रिसदस्यीय (1993 → शेषन)

कार्यकाल → 6 या 65

हटाना → for CEC → same as HC/SC

सुधार / समस्या
- → अन्य चुनाव C को CEC के समान हटाने की प्रक्रिया लागू करें
- → बहुमत के संदर्भ
- → चुनाव आयोग की शक्तियाँ
- → सरकार vs चुनाव आयोग
- → खुद का प्रशासनिक तंत्र
- → हद से ज्यादा बल

समाधान

Political Party
- पंजीकरण by EC
- status
  - राज्य
  - राष्ट्रीय
- प्रचार
- कार्य
  - → चुनाव
  - → जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक
- सीमाएँ
  - आंतरिक लोकतंत्र ↓
  - परिवारवाद
  - चापलूसी संस्कृति
  - चयन based on जीतने की क्षमता (धन/बाहुबल/जाति) ना कि योग्यता
  - वित्तीय पारदर्शिता
  - विचारधारा आधारित नहीं (व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा)
  - संकीर्ण स्वार्थ आधारित
  - लिलिपुटाइजेशन

FPTP
(−) caste politics ⇒ समाधान → बहुमत

समानुपातिक
↳ two party
कोअलिशन

FPTP
↳ two Coalition की तरफ बढ़ रहे हैं।

धनतंत्र → भ्रष्टाचार
↳ अन्याय

पैसा → उगाही → HRहनन
↳ Compensate

- चुनाव व्यय सीमा को कठोरता से लागू
- व्यय सीमा को तार्किक रूप से बढ़ाया जाये।
- State funding → equal खर्च
  ↳ हर्जे के हिसाब से व्यय

बाहुबल
↳ असर कम in election but चुनाव के बाद प्रभाव (long term impact)

राज. अपराधीकरण है — राजनीति में अपराधियों का सहयोग
अपराध का राजनीतिकरण :-
↳ अपराधी द्वारा चुनाव लड़ना

→ Political cleaning
→ भारत

प्रतिनिधित्व
↳ बुद्धिजीवियों, Middle Class विमुख
- रोजी-रोटी
- consumerism
- →

bcoz
↳ no विचारधारा।

(+)
- Political Party
- आसान वोट है
- voting at we door

महिला res
↳ General महिला आरक्षण ↑ res के 50%

(-)
- सामान्य

गिल फार्मूला → P.P. द्वारा ही महिला को टिकट दिया जाये
- % धीरे-2 बढ़ाया जाये

⇙
(same as प्रतिनिधित्व country)

- Mentality change

जन प्रतिनिधित्व कानून

भारत में निर्वाचन

- संवैधानिक प्रावधान
- वैधानिक प्राव० → RP Act, 1951
- संस्थागत व्यवस्था
- चुनाव प्रक्रिया
- चुनाव में दोष / समस्याएँ
- चुनाव सुधार

I) संवैधानिक प्राव०

भारतीय संवि० के भाग - 15 में निर्वाचन से जुड़े प्राव० अनुच्छेद 324 - 329 के बीच उल्लेखित हैं। ~~A-324 चुनाव~~

A - 324 - चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण हेतु चुनाव आयोग की स्थापना।

A - 325 → धर्म, लिंग, जाति व मूलवंश के आधार पर किसी नागरिक को निर्वाचन नामावली या मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से रोका नहीं जायेगा।

A - 326 :- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार → लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव हेतु

A - 327 :- विधायिका (C/S) केंद्र ~~विधायिकाओं के निर्वाचन~~ निर्वाचन के संदर्भ में उपबंध करने की संसद की शक्ति।

A - 328 :- राज्य विधानमण्डल के निर्वाचन से जुड़े उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधानमण्डल की होगी।

A - 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जन

भाग - 15 की मूलभावना को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने चुनावों के परिपालन के संदर्भ में वैधानिक व संस्थागत व्यवस्था की है।

II) वैधानिक प्रयास —

- RP Act, 1950
- RP Act, 1951
- परिसीमन Act, 1952
- Pres. & V-Pres. चुनाव अधि०, 1952

इन सभी कानूनों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये हैं, ताकि तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को संचालित किया जा सके। इनमें सबसे प्रभावी व बृहद् कानून - जन प्रतिनिधित्व A, 1951 है। जिसमें 1996 में सबसे व्यापक संशोधन किया गया। और 2009 में किया गया संशोधन सबसे तात्कालिक है। इसके अलावा 2013 में भी संशोधन हेतु बिल प्रस्तुत किया गया था - जो कि दागी प्रतिनिधियों के संदर्भ में था। जिसे सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया।

RPAct - 1951 :→ यह Act केन्द्र व राज्य के संदर्भ में चुनावों को संचालित करने हेतु

(1) प्रशासनिक तंत्र
(2) योग्यता व अयोग्यता
(3) परिसीमन
(4) भ्रष्ट आचरण व अन्य अपराधों से उभरे विवाद
(5) उपनिर्वाचन
(6) राजनीतिक P. के पंजीकरण से संबंधित प्राव० करता है।

इन प्राव० को 5 भागों में 32 सेक्शन (खण्ड) के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

भाग A → इसमें सेक्शन 1 & 2 हैं, जो निर्वाचन से संबंधित शीर्षकों व परिभाषाओं को दर्शाते हैं।

सेक्शन 2 से ही [illegible]

का प्राव॰ है।

(भाग-2) :- से॰ 3 से 13 के बीच है, जिसमें सीटों के वितरण व निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्राव॰ हैं।

— भाग ~~खण्ड~~-2-A ~~को~~ संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो निर्वाचन नामावली तैयार करने से जुड़े पदाधिकारियों से संबंधित है। यहाँ

— भाग 2 B :- इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावली उपलब्ध करवाता है।

इस भाग में निम्नलिखित खण्ड या सेक्शन imp. हैं —

(1) 13-A ↳ CEO (मुख्य निर्वा॰ अधिकारी) की नियुक्ति का प्राव॰ है।

(2) 13AA — में DEO (District E O) की नियुक्ति का प्राव॰

(3) 13B — E Returning offices (ERO) " " " "
(Election)

(4) 13C — आवश्यकता पड़ने पर AERO (असिस्टेंट) की " " "

(5) 13CC — CEO/DEO/ERO/AERO की नियुक्ति डेप्युटेशन पर होगी।

(भाग-3) :- (से-14 से 25 तक)

↳ इसमें 5. विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली से जुड़े प्राव॰ हैं। भाग-3 के imp Section हैं—

(1) S-16 :- मतदाता सूची हेतु अयोग्यताओं का विवरण

(2) S-17 :- एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में पंजीकरण पर रोक

9) S-18 :- एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक निर्वाचक के रूप में पंजीकरण पर रोक

S-19 :- निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने की सामान्य योग्यताएँ जैसे - आयु, नागरिकता etc.

Sec - 20 :- "सामान्य नागरिक" शब्द की परिभाषा

भाग - 4 :- यह S. विधान परिषद हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने से जुड़े प्राव. करता है।

Only - 27 sec. इसमें संशोधन द्वारा भाग - 4 A जोड़ा गया है, जो विधान परिषद में सीटों को भरने की प्रक्रिया के बारे में

भाग - 5 :- (Sec - 28 to 32) :- इसमें निर्वाचन के संदर्भ में सिविल न्यायालयों के न्याय निर्णयन या ज्यूरिडिक्शन से संबंधित प्राव. किये गये हैं। (भ्रष्ट आचरण)

26 शर्तें

चुनाव आयोग

- संवैधानिक संस्था
- स्थापना — 25 Jan, 1950 को प्रेज़ द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए की। 1 Oct, 1993 से यह त्रिसदस्यीय संस्था है (1 CEC + 2 चुनाव आयुक्त) EC की स्वतंत्रता - निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

(1) CEC के कार्यकाल की सुरक्षा
  - पदच्युति की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख

(2) वेतन-भत्ते संचित निधि पर भारित

(3) वेतन एवं सेवा शर्तों में कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता

(4) केन्द्र या S के स्तर पर पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध

(5) चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद विशिष्ट प्रशासनिक शक्तियाँ।

भूमिका / Role :- EC की भूमिकाओं को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है :-

(1) सामान्य प्रकृति के कार्य :-
  (i) चुनाव का संचालन (कुल - 6 चुनाव)
  (ii) राजनीतिक दलों का पंजीकरण + चुनाव चिन्ह
  (iii) " " के दर्जे को निर्धारित करना

(2) परामर्शी प्रकृति के कार्य :-
  (i) चुनावों की अधिसूचना जारी करने या चुनावों के संचालन से जुड़े नियमों - तिथियों को तैयार करने या चुनाव [illegible] के तहत

निर्वाचन के संदर्भ में सलाह

(3) अर्द्ध - न्यायिक है →

चुनाव के ~~संचालन~~ संचालन के दौरान यदि कोई भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो उसके संदर्भ में दण्डात्मक कार्यवाही को निर्धारित करना। और इस संदर्भ में उनकी सिफारिश बाध्यकारी होती है।

बाध्यकारी

मूल्यांकन है —

– भारत में EC स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संवैधानिक व वैधानिक रूप से तो सशक्त है, लेकिन चुनावों के व्यवहारिक संचालन में अनेक दोष देखे जा सकते हैं।

(1) आयोग की संरचना में असंतुलन → (अलग - 2 हटाने की तरीका)

(2) आयोग के पास स्वयं के प्रशासनिक स्टाफ का अभाव

(3) चुनावों के संचालन के दौरान राज्य सरकार के विभाग की नियुक्ति। (transfer संबंधी

(4) चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये परामर्शों को सरकार द्वारा पर्याप्त imp. नहीं दिया जाना।

परिसीमन से जुड़े प्रावधान

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से तात्पर्य उनके आकार व pop. को इस प्रकार निर्धारित करने से है, जिससे कि नागरिक को निर्वाचन में समतामूलक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। और (२) ~~निर्वाचन के~~ चुनावों के संचालन में सुविधा हो। इसी उद्देश्य से लोक सभा व विधान सभा हेतु निर्वा० क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्रावधान RPA के भाग २ में किये गये हैं।

भारत में परि० हेतु परिसीमन C के गठन की व्यवस्था की गई है। (A-81) इस C. में मुख्य EC के अलावा HC या SC के दो न्यायधीश हो सकते हैं। अब तक भारत में (वर्तमान / कुल ४ / 5) परि० आयोग बनाये गये हैं। संवि० में प्राव० गठन जनगणना के बाद किया जायेगा। जो कि संसद के कानून से होगा।

जनगणना	कानून	आयोग
1951	1952 Act (परि० अधि०)	1952 I
1961	1962 Act	1963 II
1971	1972 Act	1973 III
~~2001~~		

42वां संविधान संशो — सीटों के परि० पर 2000 तक रोक
84 " " → इस रोक को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

क्योंकि परि० से pop. नियंत्रण करने वाले राज्यों का राजनीतिक imp. कम हो रहा था, जबकि

जिन S. की pop. तेजी से बढ़ रही थी, उनकी सीटों की संख्या बढ़ रही थी (Political Imp.)

परिसीमन → pop. के अनुपात में ×
pop. वितरण समान

X (5 L) ← 2½ ← Y (10 L)   pop. redistribute

7½   7½

वितरण समान

by IVth परि॰ आ॰

IVth परिसीमन आयोग → कुलदीप सिंह आयोग

14th → जनगणना 1991/2001

कानून
परि॰ अधि॰, 2002
परि॰ संशो॰ Act, 2003
⇓ (87th Amend)
इसी से जनगणना
आधार change कर
2001 को लिया।

(Note → सीटों की संख्या पर कोई सिफारिश नहीं की बल्कि सीटों के तहत जनसंख्या को पुनर्वितरित
Ex : UP → 80 सीटें ⇒ तो सभी हेतु equal pop.)

IVth परि॰ आयोग अन्य आयोगों से इस रूप में पृथक था, कि इसने सीटों की संख्या को जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारित नहीं किया, बल्कि सीटों के अंतर्गत जनसंख्या के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया (लोक + विधान)। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों को घटा - बढ़ा कर नये क्षेत्रों का सृजन किया गया।

भारतीय संवि० में स्पष्ट किया गया है, कि परिसीमन आयोग द्वारा बनायी गयी विधियों को न्यायालय मे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। → (Judicial Review से परे) ⟹

निर्वाचन अधिकारी :-

RPA के भाग 3 में विभिन्न खण्डों मे निर्वाचन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय चुनाव आयोग से संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को हम दो स्तरों पर देखते हैं —

केन्द्र स्तर :- → CEC + EC
पूरे कार्यालय के तहत + Depty EC
+ Administration staff.

राज्य स्तर पर :— CEO → इनके साथ ही observer
↓ ↓
DEO/RO मतदान/मतगणना के दौरान
↓
AERO अनियमितता होने पर
↓
प्रिसाइडिंग officer (PO) उनको रोकने की शक्ति
↓
पोलिंग ऑफिसर

CEO, DEO, RO AERO तक नियुक्ति EC कमिश्नर द्वारा

देखरेख — CEO ↓ पूरा राज्य; DEO ↓ पूरा जिला; RO ↓ एक निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय; AERO ↓ RO से संबंधित कार्य को प्रारंभिक स्तर पर करना

RPA मे योग्यताऐं व अयोग्यताऐं :-

- इनका उल्लेख भाग-2 में सेक्शन 8 के अंतर्गत दिखायी देता है। लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यताओं का वर्णन संवि एवं जन प्रति० कानून दोनों में मिलता है।

संवैधानिक योग्यताऐं :-

(1) नागरिक
(2) 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
(3) नामांकन दर्ज करते समय तीसरी सूची के अनुरूप शपथ
(4) संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता

RPA, 1951 के तहत योग्यता है

(1) उस क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो
(2) आरक्षित सीट होने पर आरक्षित समुदाय से होने की योग्यताओं को पूरा करता हो।
(3) राज्य सभा - विधान परिषद हेतु योग्यता

(1) संविधान
Same as above
but age — 30

RPA, 1951 के तहत योग्यता है

- पूर्व में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता थी, जिसे राज्य सभा निर्वाचन संशोधन A, 2003 से समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में किसी भी क्षेत्र का निर्वाचक नहीं भी चुनाव लड़ सकता है। यद्यपि आरक्षित सीट हेतु योग्यताएं जारी।

अयोग्यताएं है

भारतीय संवि० में लोकसभा - राज्यसभा, विधानसभा या परिषद सभी चुनाव के संदर्भ में कुछ वर्णित अयोग्यताएं हैं —

(1) लाभ के पद पर ना हो
↳ संशो० के द्वारा A 102 (2) जुड़ा गया है, जिसमें मंत्रीपद लाभ के पद में शामिल ना हो
(2) सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृत चित्त ना हो
(3) सक्षम न्याया० द्वारा घोषित ~~दिवालिया~~ ना हो

(4) विदेशी नागरिकता धारण ना की हो।

(5) संसद द्वारा बनायी गयी विधि से अयोग्य ना ठहराया जाये।

(6) RPA में अयोग्यताओं को दो आधारों पर परिभाषित किया गया है,

(1) कुछ विशिष्ट अपराधों में सजा पाने पर

(2) भ्रष्ट आचरण या दोषी पाये जाने पर

(i) यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध हेतु 2 वर्ष के अधिक की सजा हो जाती है, तो वह सजा की तिथि से आगामी 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित होता है, जबकि अपराध निम्नलिखित प्रकृति का हो।

a) विभिन्न समुदायों के बीच नृजातीय आधार पर विद्वेष फैलाने के लिए

(b) ~~सिविल~~ नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के तहत अस्पृश्यता या उससे संबंधित मामलों हेतु दोषी।

(c) Custom Act का उल्लंघन
(गैर कानूनी तरीके से चीजों को लाने ले जाने का दोषी)

(d) ऐसी संस्था का सदस्य होना, जिसे गैर कानूनी घोषित किया गया हो

(e) फेरा या फेमा के तहत दोषी।
(1973) (98)

(f) ~~नारकोटिक~~ मादक द्रव्यों से संबंधित मामलों के दोषी (नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस Act, 1985)

(g) TADA
(h) POTA
} → निवारक निरोध कानून के तहत दोषी

(h) राष्ट्रीय सम्मान या रा० प्रतीक या संवि० के अपमान

हेतु होगा।

(ii) भ्रष्ट आचरण हेतु दोषी — उल्लेख Sec - 8 में किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे न्यायाधिकारी सत्ता द्वारा भ्रष्ट आचरण हेतु दोषी पाया गया है, उस पर 6 वर्षों की निर्योग्यता लागू होगी। यह भ्रष्ट आचरण निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है —

(a) निर्धारित अवधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने पर

(b) भ्रष्ट व निष्ठाहीन आचरण के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने पर

(c) सामाजिक अपराधों के प्रचार में संलिप्त पाये जाने पर

(d) ऐसे आर्थिक संस्थान में लाभ के पद पर होने पर, जहाँ सरकार की 25% हिस्सेदारी हो।

RPA में 1996 में किया गया संशोधन है

(1) एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनावों को नहीं लड़ सकेगा।

(2) जमानत राशि लोकसभा हेतु बढ़ाकर → 10,000
विधानसभा " " → 5,000
SC & ST हेतु माफी होगी।

(3) राजनीतिक दल के उम्मीदवार हेतु 1 मतदाता व निर्दलीय हेतु 10 मतदाताओं के अनुसमर्थन की जरूरत होगी।

(4) P. P. के उम्मीदवार की मृत्यु होने पर 7 दिन के अंदर नये उम्मीदवार को घोषित करने का अवसर दिया जायेगा, व यदि आवश्यक हो, तो चुनावों की तिथि भी आगे बढ़ायी जा सकेगी।

(5) सरकारी का [illegible]

घोषित किया जायेगा।
चुनाव के 48 घण्टे से पहले चुनाव प्रचार समाप्ति की आवश्यकता।
(7) चुनाव की तिथि पर सभी सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों मे अवकाश होगा। यदि कोई प्रतिष्ठान ऐसा नही करता है तो उसे दण्डित किया जायेगा।
(8) मतदान व मतगणना के दौरान अनियमितता को रोकने हेतु निगरानी कर्मियों की निगरानी की जायेगी।
(9) सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाने पर 6 माह के अंदर अनिवार्यतः चुनाव करवाये जायेंगे
(10) सभी उम्मीदवारों हेतु निर्धारित समयावधि में खर्च का ब्यौरा दिया जाना अनिवार्य होगा।
2009 का संशोधन :- इसी के तहत सेक्शन 126 A व 126-B को जोड़ा गया है।
126-A → एक्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाने से जुड़ा है। (चुनाव प्रारंभ होने के अंतिम चरण के ½ घण्टे बाद तक रोक)
126-B के तहत इन एक्जिट पोल से जुड़ी संस्थाओं के भ्रष्ट आचरण से जुड़े प्रावधान किये गये।

सांविधिक, विनियामक, अर्द्ध न्यायिक / विवाद निवारण तंत्र / सलाहकार / अधिकार संपन्न / अहिंसा Org.

Statutory, Regulatory, Quasi Judicial

4 विशेषता वाली => सेबी

प्रशासनिक संगठन

I) संरचना
- इस आधार पर
  - ब्यूरो → CBI, IB
    - Single Head body (always) → O
  - अन्य सामूहिक अभिव्यक्ति का
    - बोर्ड / मंडल / परिषद / आयोग / अधिकरण / न्यास
    - बोर्ड, काउन्सिल, कमीशन, tribunal, ट्रस्ट
    - Plural Head (Generally)

वर्गीकरण का कारण → दोनों की कुछ कमियाँ + (+)ve है

ब्यूरो → (+)ve
- शीघ्र-निर्णय
- विवाद ↓
- दायित्व आसान
- खर्च ↓

(-)ve
- Quality ↓

Others
- (+)ve
  - Quality of Decision
  - बहु प्रतिनिधित्व
  - आंतरिक सौहार्द
- (-)ve
  - दायित्व ↓
  - खर्च ↑

ब्यूरो vs Other

II) legal Status :-

कानूनी दर्जा 3 तरह का => ① संवैधानिक / वैधानिक / संविधानेत्तर
- संवैधानिक → acc. to संविधान का अनुच्छेद
- वैधानिक → संसदीय कानून
- संविधानेत्तर → जो कार्यपालिका के प्रस्ताव से / सरकारी प्रस्ताव

a) ← ② संविधानेत्तर → b)

(+)ve - तात्कालिक सुविधा

संवैधानिक

A
- 263 → अंतर्राज्यीय परिषद
- 280 :→ वित्त आयोग → QJ
- 315 :→ UPSC / PSC → QJ
- 324 :→ चुनाव आयोग → QJ
- 338 :→ SC → QJ
- 338 A → ST
- 344 → राजभाषा

(अधिकांश संवैधानिक आयोग अर्द्ध न्यायिक हैं)

अर्द्ध न्यायिक :- जब न्याय द्वारा न्याय का काम किसी और संस्था को + ~~न्यायिक योग्यता~~ + साधारण योग्यता वाले लोग शामिल

- → अधिकारिता संरक्षण
- → न्यायिक सलाहकार
- → सारे ट्रिब्यूनल अर्द्धन्यायिक
- → अधिकांश फैसलों की सिफारिश
- → उदा :- केन्द्रीय अधिकरण → Green tribunal

QJ → (Compulsory Arbitration) i) अनिवार्य न्याय निर्णय का क्लॉज → बाध्यकारी / अंतिम

उदा पुलिस आयोग नहीं जल विवाद अधि.

संविधानेतर
- → Planing Comission
- → NDC (National D Council)
- → CVC → पहले संविधानेतर now वैधानिक
- → CBI
- → सलाहकारी संस्थाएँ
  - → PM की आ० सलाहकार परिषद
  - → राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
  - → NSDC (Skill)
  - → N. जनसंख्या आयोग
  - → ~~वृद्ध~~
- → राष्ट्रीय जल संसाधन C
- → कर्मचारी चयन आयोग
- → केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
- → राष्ट्रीय एकीकरण परिषद

Note → सभी सलाहकारी संविधानेतर नहीं

वैधानिक
- → Zonal Councils (क्षेत्रीय परिषद)
- → NHRC (Human Right)

- CVC
- CCI (Compitition Commission of India
- CIC (Central Information Comission)
- CFCB
- FMC
- Regulatory → (एक क्षेत्र में नियमन का कार्य, ताकि कार्य अच्छी तरीके, पारदर्शी तरीके से हो सके)
  - SEBI
  - TRAI
  - IRDA
  - ERC (Electric Regulatory Comission)
  - AAI

वैधानिक

- नियामकीय
  - विवाद निवारण
- अर्द्धन्यायिक
  - विवाद निवारण

संवैधानिक

- आयोग/परिषदें
  - विवाद निवारण
- Quasi - Judisiary
  - विवाद निवारण

वैधानिक/नियामकीय/अर्द्ध न्यायिक & विवाद निवारण

संविधान & संविधानेतर —
- नियामकीय x
- अर्द्धन्यायिक ✓
- विवाद निवारण

संवैधानिक संस्था
- नियामक
- अर्द्ध - न्यायिक

II) विधिक स्थिति → Const / → Status / → Const Com

III) Functionality (कार्यकरण) :→
- नियामकीय
- अर्द्धन्यायिक
- विकासात्मक
- जांच संबंधी कार्यों से जुड़े
- संरक्षणात्मक कार्यों से जुड़े → मानव अधिकार, महिला
- विवाद निवारण → Mari tribunal,

Regulatory है (सेबी, इरडा)
- सामान्यतः वैधानिक
- जिनका कार्य है किसी क्षेत्र विशेष में कार्यरत संस्थाओं के बीच नियमन या नियंत्रण का होता है, ताकि
  - (a) अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा ना हो
  - (b) अनियमितताएं ना हो
  - (c) उपभोक्ता या नागरिक हितों का संरक्षण

⇓

इन विनियामकों में भ्रष्टाचार

⇓

now demand arising about Super regulatory

विनियामकों के अधिकारों के कार्यकरणों में उत्पन्न कमियों + उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि सुपर रेगुलेटरी कमीशन (शीर्ष नियामकीय आयोग) बनाया जाये, जिससे नियामकीय संस्थाओं के regulation का कार्य किया जाये।

नियामकीय संस्थाएँ → PFRDA (पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी डव॰ Authority)

- सेबी
- ट्राई
- इरड़ा (IRDA)
- CERC (Central Elecriticity Regulatary Comission)
- ONGB (Oil & Natural gues regulation Board)
- AERB (एटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्ड)
- FMC (फॉरवर्ड मार्केट कमिशन)
- CPCB (Central pallution Control Board)
- CCA (Control of Certifying Authority)
  - ISO मानक पे सर्टिफ़ाइड
- CSB (Central Silk Board)
- CAA (Coastal Acquaculture Authority)

Medical

1. MCI
2. ~~नर्सिंग Council of India~~
- Dental " "
- फार्मेसी " "
- इण्डियन नर्सिंग काउंसिल
- Central काउंसिल फॉर होम्योपैथी
- " " " Indian Medicine

- Inland Waterway authority of India
- National Highway " "

विवाद निवारण

1) → C-S विवाद (S-S) → ISC, ZC, NDC
2) → govt. Citizen → जन शिकायत निवारण की पुरी संस्थाएँ ⇒ लोकायुक्त
3) → govt – employee → Administrative tribunal, Armed forces tribunal, JCM (Joint Consultative Machinery)
4) → ~~govt emp~~ service provider → Citizen ⇒ other tribunal
⇓